भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च , 2017

फा.सं. 21–1/2016–बीएडंसीएस.–– भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ––

(ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और

(बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित हुआ, ––

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतत्द्वारा निम्नवत् आदेश बनाता है, नामतः–

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017

(वर्ष 2017 का 1)

भाग–I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ. ––

(1). इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 कहा जाएगा।

(2). यह आदेश सब्सक्राइबरों को एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं पर संपूर्ण भारत में लागू होंगे।

(3) (क) जैसा कि उप खंड (ख) में उपबंधित है, यह आदेश, इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के एक सौ अस्सी दिनों के बाद लागू होगा।

(ख) इस आदेश के खंड 3, 6 और 8 इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होंगे।

2. परिभाषाएं. –– (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(ए) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;

(बी) ''एड्रेसेबल प्रणाली'' से आशय है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलैक्ट्रानिक उपकरण, जिन्हे एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से कार्यक्रमों का संचारण, टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के पुनः संचारण समेत, कूट (एनक्रिप्टिड) किया जा सकता है और जिन्हें सब्सक्राइबर को टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा सब्सक्राइबर की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, सब्सक्राइबर के परिसर में किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है ;

(सी) "अ–ला–कार्टे अथवा अ–ला–कार्टे चैनल" से टीवी चैनल के प्रस्ताव के संदर्भ में आशय एकल आधार वाले चैनल के अलग–अलग प्रस्ताव से है;

(डी) "प्राधिकरण" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(ई) "बुके" या "चैनलों के बुके" से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबंद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा;

(एफ) "प्रसारक" से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केन्द्र सरकार से डॉउनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है;

(जी) ''अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी'' पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के संदर्भ में इसका आशय किसी टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को उसके पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के सिगनल के लिए, जैसा भी मामला हो, देय शुल्क है जिसके लिए उस प्रसारक से वितरक द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृति प्राप्त की गई हो;

(एच) ''प्रसारण सेवाओं'' का आशय है अंतरिक्ष के माध्यम से अथवा केबल के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिग्नलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार, जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना आशयित है, और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तद्नुसार अर्थ माना जाएगा;

(आई) ''केबल सेवा'' अथवा ''केबल टीवी सेवा'' से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है;

(जे) ''केबल टेलीविजन नेटवर्क'' अथवा ''केबल टीवी नेटवर्क'' से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;

(के) ''अनुपालन अधिकारी" से आशय है, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नामजद कोई व्यक्ति जो इस आदेश के तहत अनुपालन के लिए आवश्यक्ताओं को समझने में सक्षम है;

(एल) "डॉयरेक्ट–टू–होम ऑपरेटर" अथवा "डीटीएच ऑपरेटर" से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(एम) "डॉयरेक्ट–टू–होम सेवा" अथवा "डीटीएच सेवा" से आशय है उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके, बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबल आपरेटर अथवा टेलीविजन चैनलों के किसी अन्य वितरक, के सीधे सब्सक्राइबर के घर तक टेलीविजन के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण करना;

(एन) "डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म'' से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर के वितरण नेटवर्क से है;

(ओ) "टेलीविजन चैनलों का वितरक'' अथवा ''वितरक'' से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर से है;

(पी) "वितरक का खुदरा मूल्य'' अथवा ''डीआरपी'' से इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ, आशय कर के अलावा उस मूल्य से है जो सब्सक्राइबर द्वारा उस अ–ला–कार्टे चैनल अथवाय पे–चैनलों के बुके के लिए, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाता है, जिसकी घोषणा टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा की जाती है;

(क्यू) "फ्री–टु–एयर चैनल'' अथवा '' फ्री–टु–एयर टेलीविजन चैनल'' से आशय ऐसे टेलीविजन चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है और जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा ऐसे चैनल के सिगनलों हेतु प्रसारक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है;

(आर) "हैड एंड इन द स्काई आपरेटर'' अथवा "एचआईटीएस आपरेटर'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा हैड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;

(एस) "हैड एंड इन द स्काई सेवा'' अथवा "एचआईटीएस सेवा'' से आशय टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के पुनर्प्रसारण सहित कार्यक्रमों के प्रसारण से है––

(i) मध्यस्थों को जैसे केबल प्रचालक या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए और सब्सक्राइबरों को सीधे नहीं; और

(ii) उपग्रह प्रणाली तथा स्वयं का केबल नेटवर्क उपयोग कर सब्सक्राइबरों को ;

(टी) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आपरेटर'' अथवा "आईपीटीवी आपरेटर'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा आईपीटीवी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;

(यू) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा'' अथवा "आईपीटीवी सेवा'' से आशय है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोज्ड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके एड्रेसेबल पद्धति में मल्टी चैनल टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण करना;

(वी) "स्थानीय केबल ऑपरेटर'' अथवा ''एलसीओ" से आशय, ऐसे व्यक्ति से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है;

(डब्ल्यू) "अधिकतम खुदरा मूल्य'' अथवा ''एमआरपी'' से इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ आशय, कर के अलावा, ऐसे अधिकतम मूल्य से है जो किसी सब्सक्राइबर द्वारा अ–ला–कार्टे पे चैनल अथवा पे–चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए देय है;

(एक्स) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर'' अथवा ''एमएसओ" से आशय किसी ऐसे ऑपरेटर से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और एक से अधिक सब्सक्राइबर को सीधे ही अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से, साथ–साथ प्राप्त करने के लिए, इन्हें पुनः संचारित करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को संचारित करता है;

(वाई) "नेटवर्क क्षमता शुल्क'' से आशय, कर के अलावा, उस राशि से है जो एक सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किए गए टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए वितरण नेटवर्क क्षमता हेतु टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय है तथा इसमें पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क शामिल नहीं है ;

(जेड) ''आदेश'' का आशय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 है;

(जेडए) ''पे–चैनल'' से आशय ऐसे चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है तथा जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी को प्रसारक को भुगतान किया जाना होता है और जिसके लिए सब्सक्राइबरों तक ऐसे चैनलों के वितरण हेतु प्रसारक से विधिवत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है;

(जेडबी) "कार्यक्रम" से आशय किसी टेलीविजन प्रसारण से है तथा इसमें निम्नवत शामिल हैं:–

(i) फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन ;

(ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण; और....

''कार्यक्रम सेवा''अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ समझा जाएगा;

(जेडसी) '' संदर्भ अंतःसयोजन प्रस्ताव '' अथवा ''आरआईओ'' का आशय एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज से है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिस पर अन्य सेवा प्रदाता ऐसे सेवा प्रदाता के साथ अंतःसंयोजन प्राप्त कर सकते हैं;

(जेडडी) ''विनियम'' का आशय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं–सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 हैं;

(जेडई) ''सेवा प्रदाता'' से आशय सेवा प्रदाता के रूप में सरकार से है और जिसमें लाइसेंसधारी के साथ प्रसारक, टेलीविजन चैनलों के वितरक अथवा स्थानीय केबल ऑपरेटर भी शामिल हैं;

(जेडएफ) ''सेट टॉप बाक्स'' का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;

(जेडजी) "सब्सक्राइबर' से आशय इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइब की गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा;

(जेडएच) "टेलीविजन चैनल'' से आशय किसी चैनल से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतिगत दिशा निर्देशों के तहत डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति प्रदान की गई हो तथा ''चैनल'' शब्द का अभिप्राय ''टेलीविजन चैनल'' माना जाएगा।

(2) इस आदेश में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें यथास्थिति, उप अधिनियमों या नियमों या अन्य विनियमों, में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

भाग II

टैरिफ

3. प्रसारकों द्वारा चैनलों को पेशकश करने का तरीका. –– (1) प्रत्येक प्रसारक, सभी टेलीविजन चैनलों के वितरकों को अ–ला–कार्टे आधार पर अपने सभी चैनलों की पेशकश करेगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक घोषणा करेगा कि :–

(क) अपने प्रत्येक चैनल का स्वरूप यथा 'फ्री–टु–एयर' अथवा पे–चैनल; और

(ख) अ–ला–कार्टे आधार पर प्रसारक के द्वारा उसके प्रत्येक पे–चैनल हेतु सब्सक्राइबर द्वारा प्रतिमाह भुगतान किया जाने वाला अधिकतम खुदरा मूल्यः

बशर्ते कि किसी पे–चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य 'शून्य' से अधिक होगा :

बशर्ते आगे कि किसी चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य सभी वितरण प्लेटफार्मों पर एक समान होगा।

(3) प्रसारक अपने पे–चैनलों को बुके के रूप में पेशकश कर सकते हैं तथा ऐसे बुकों के लिए सब्सक्राइबर द्वारा प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा कर सकते हैंः

बशर्ते कि किसी पे–चैनलों के बुके को तैयार करते हुए, प्रसारक अपनी किसी सहायक कंपनी अथवा धारक कंपनी अथवा धारक कंपनी की सहायक कंपनी, जिसने अपने टेलीविजन चैनलों के लिए केन्द्र सरकार से अपने नाम पर डॉउनलिंकिंग अनुमति प्राप्त कर ली है, उनके द्वारा लिखित प्राधिकार किए जाने पर उक्त कंपनियों केय पे–चैनलों का संयोजन कर सकता है तथा पे–चैनलों के ऐसे बुके के लिए सब्सक्राइबर द्वारा प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित कर सकता हैः

बशर्ते कि ऐसे बुके में ऐसा कोई पे–चैनल नहीं होगा जिसका प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य उन्नीस रूपए से अधिक हो :

बशर्ते आगे कि पे–चैनलों के ऐसे बुके का प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य ऐसे बुके का भाग बनने वाले अ–ला–कार्टे पे–चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों के योग के पचासी प्रतिशत से कम नहीं होगा :

बशर्ते आगे कि पे–चैनलों के ऐसे बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य सभी वितरण प्लेटफार्मों के लिए एक समान होगा :

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में कोई फ्री–टू–एयर चैनल नहीं होगा :

बशर्ते यह भी आगे कि ऐसे बुके में किसी चैनल के, एचडी और एसडी , दोनों स्वरूप एक साथ शामिल नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजनार्थ, ''सहायक कंपनी'' और ''धारक कंपनी'' की परिभाषा वही होगी जो उसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अठाहरवां) में दी गई है।

(4) प्रसारक अपने अ–ला–कार्टे पे–चैनल(लों) के अधिकतम खुदरा मूल्य(यों) पर प्रचार योजनाओं की पेशकश कर सकता है :

बशर्ते आगे कि किसी भी समय ऐसी योजनाओं की अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगीः

बशर्ते आगे कि प्रसारक द्वारा ऐसी किसी योजना की बारम्बारता किसी कलेण्डर वर्ष में दो बार से अधिक नहीं होगीः

बशर्ते आगे कि ऐसी किसी प्रचार योजना के तहत पेशकश किए गए अ–ला–कार्टे पे चैनल(लों) के मूल्य(यों) को ऐसी प्रचार योजना की अवधि के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य माना जाएगाः

बशर्ते यह भी आगे कि ऐसी किसी प्रचार योजना के तहत अ–ला–कार्टे पे– चैनल(लों) के प्रस्तावित मूल्य(यों) पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियम और टैरिफ आदेशों के उपबंध लागू होंगे।

(5) प्रत्येक प्रसारक किसी चैनल के स्वरूप अथवा किसी पे–चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा किसी पे–चैनल के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा किसी पे–चैनलो के बुके का संयोजन जैसा भी मामला हो, में परिवर्तन करने से पूर्व, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी लागू विनियमों के उपबंध का अनुपालन करेगा जिसमें संदर्भ अंतःसयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन शामिल होगा परन्तु इस तक ही सीमित नहीं होगा ।

4. टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा तथा चैनलों को पेशकश किए जाने की पद्धति. –– (1) प्रत्येक टेलीविजन चैनलों का वितरक, टेलीविजन चैनलों का सिगनल प्राप्त करने हेतु वितरण नेटवर्क क्षमता उपयोग करने के लिए किसी सब्सक्राइबर द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा करेगाः

बशर्ते कि प्रारंभिक एक सौ एसडी चैनलों के लिए प्रतिमाह नेटवर्क क्षमता शुल्क किसी भी स्थिति में, कर के अलावा, एक सौ तीस रुपए से अधिक नहीं होगाः

बशर्ते आगे कि उप–खण्ड (1) के प्रथम परंतुक में संदर्भित प्रारंभिक एक सौ चैनलों से अधिक चैनलों हेतु वितरण नेटवर्क क्षमता के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क, प्रत्येक पच्चीस एसडी चैनलों की स्लैब के लिए, किसी भी स्थिति में, कर के अलावा, बीस रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगाः

बशर्ते यह भी कि सब्सक्राइब किए गए वितरण नेटवर्क क्षमता के भीतर चैनलों की संख्या का परिकलन करने के उद्देश्य से एक एचडी चैनल को दो एसडी चैनल के समकक्ष माना जाएगा।

(2) प्रत्येक टेलीविजन चैनलों का वितरक सभी सब्सक्राइबरों को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध सभी चैनलों को अ–ला–कार्टे आधार पर पेशकश करेगा तथा सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक पे–चैनल के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य की घोषणा करेगा :

बशर्ते कि सब्सक्राइबर द्वारा किसी टेलीविजन चैनल के वितरक को पे–चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य, किसी भी स्थिति में, ऐसे पे–चैनल के लिए प्रसारक द्वारा घोषित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगा।

(3) प्रत्येक टेलीविजन चैनलों का वितरक; प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे–चैनल के प्रत्येक बुके की संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी पेशकश करेगा, जिसके लिए उस प्रसारक के साथ अंतर्संयोजन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तथा सब्सक्राइबर द्वारा ऐसे बुके के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य की घोषणा करेगा :

बशर्ते कि प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वालेय पे–चैनल के बुके को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइबर द्वारा टेलीविजन चैनलों के वितरक को भुगतान किए जाने वाला प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य पे–चैनलों के ऐसे बुके हेतु प्रसारकों द्वारा घोषित किए गए प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगा :

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में ऐसा कोई पे–चैनल नहीं होगा प्रसारकों द्वारा घोषित किए गए जिसका प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य उन्नीस रूपए से अधिक हो :

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में कोई फ्री टू एयर चैनल नहीं होगा :

बशर्ते यह भी कि ऐसे बुके में किसी चैनल के, एचडी और एसडी , दोनों स्वरूप एक साथ शामिल नहीं होगें।

(4) टेलीविजन चैनलों का वितरक एक या एक से अधिक प्रसारकों के पे–चैनलों से तैयार किए गए बुके की पेशकश कर सकता है तथा सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाले ऐसे बुके के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य की घोषणा कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसे बुके में ऐसा कोई पे–चैनल नहीं होगा प्रसारकों द्वारा घोषित किए गए जिसका प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य उन्नीस रूपए से अधिक हो :

बशर्ते आगे किय पे–चैनलों के ऐसे बुके का प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य उस बुके का भाग बनने वालेय पे–चैनलों के अ–ला–कार्टे तथा पे–चैनलों के बुके के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य के योग के पचासी प्रतिशत से कम नहीं होगा :

बशर्ते आगे कि टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे–चैनलों के बुके का प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य किसी भी स्थिति में उस बुके का भाग बनने वाले तथा प्रसारकों द्वारा घोषित किए गए अ–ला–कार्टे पे–चैनल तथा पे–चैनलों के बुके के प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य के योग से अधिक नहीं होगा :

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में कोई फ्री टू एयर चैनल नहीं होगा :

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में किसी चैनल के, एचडी और एसडी , दोनों स्वरूप एक साथ शामिल नहीं होगें।

स्पष्टीकरण *:* संदेह दूर करने के लिए यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के तहत बुके तैयार करते हुए टेलीविजन चैनल का वितरक, वितरण स्तर पर दो या दो से अधिक बुके बनाने के लिए किसी वितरक द्वारा पेशकश किए गए पे–चैनलों के बुके का विखंडन नहीं करेगा।

(5) टेलीविजन चैनलों का वितरक, एक या एक से अधिक प्रसारकों के फ्री टू एयर चैनलों से तैयार किए गए बुके की पेशकश कर सकता है।

(6) कोई भी टेलीविजन चैनलों का वितरक, फ्री टू एयर चैनल या फ्री टू एयर चैनलों के बुके को सब्सक्राइब करने के लिए अपने सब्सक्राइबरों से नेटवर्क क्षमता शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का उद्ग्रहण नहीं करेगा।

(7) केन्द्र सरकार द्वारा सब्सक्राइबरों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले अधिसूचित चैनलों के अतिरिक्त सब्सक्राइब की गई वितरण नेटवर्क क्षमता के भीतर कोई भी सब्सक्राइबर टेलीविजन चैनल के वितराकों द्वारा पेशकश किए गए फ्री टू एयर चैनल(लों) अथवा पे–चैनल(लों) अथवा प्रसारकों द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे–चैनलों के बुके अथवा टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा पेशकश किए जाने वाले चैनलों के बुके अथवा तत्संबंधी में से किसी भी संयोजन का चयन कर सकते हैं:

बशर्ते यह कि यदि कोई सब्सक्राइबर पे–चैनलों अथवा पे–चैनलों के बुके का चयन करता है तो वह ऐसे चैनल(लों) तथा बुके के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क के अतिरिक्त वितरक खुदरा मूल्य(यों) के योग के समकक्ष राशि का भुगतान करेगा।

(8) टेलीविजन चैनलों का कोई वितरक, खण्ड 4 की उप–खण्ड (1) के अध्यधीन किसी सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्रिप्शन की तिथि से छह माह की अवधि के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क में वृद्धि नहीं करेगाः

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों का वितरक, नेटवर्क क्षमता शुल्क में कोई परिवर्तन करने से पूर्व, निर्धारित परिवर्तन किए जाने के कम से कम तीस दिन पूर्व –––

(क) प्राधिकरण को सूचित करेगा; और

(ख) चैनल पर स्क्रॉल चलाकर सब्सक्राइबर को जानकारी देगा।

5. टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा आधारभूत सेवा टीयर की पेशकश किया जाना. –– (1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक सौ फ्री टू एयर चैनलों के कम से कम एक बुके की पेशकश करेगा, जिसे आधारभूत सेवा टीयर कहा गया है, जिसमें ऐसे सभी चैनल शामिल होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा सभी सब्सक्राइबरों को अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है तथा ऐसे बुके में प्रत्येक जेनरे, जैसा कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में संदर्भित है, के कम से कम पांच चैनल शामिल होंगेः

बशर्ते कि यदि नेटवर्क पर किसी विशिष्ट जेनरे में पर्याप्त संख्या में फ्री टू एयर चैनल उपलब्ध न हों, तो टेलीविजन चैनलों का वितरक अन्य जेनरे के चैनलों को शामिल कर सकता है।

स्पष्टीकरण : किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा बुके सब्सक्राइबर को उपलब्ध विकल्पों में से एक होगा। तथापि, सब्सक्राइबर को अपनी आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सेवा टीयर का बुके अथवा टेलीविजन चैनलों के वितरक के प्लेटफार्म पर उपलब्ध पे–चैनलों के बुके अथवा फ्री टू एयर चैनलों के बुके अथवा अ–ला–कार्टे पे–चैनल अथवा अ–ला–कार्टे फ्री टू एयर चैनल अथवा तत्संबंधी संयोजन का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

भाग III

सेवा प्रदाताओं द्वारा रिर्पोटिंग

6. प्रसारकों द्वारा रिर्पोटिंग संबंधी आवश्यकता. –– (1) प्रत्येक प्रसारक इस खंड के लागू होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नवत जानकारी उपलब्ध कराएगा, नामतः

(क) प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वाले प्रत्येक चैनल का नाम, स्वरूप, भाषा;

(ख) प्रसारक द्वारा पेशकश किए गए प्रत्येक पे–चैनल, यदि कोई हो, का प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य तथा श्रेणी;

(ग) प्रसारक द्वारा पेशकश किए गए पे–चैनल के सभी बुकों की सूची, यदि कोई हो, साथ ही प्रत्येक बुके का संबंधित प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य तथा प्रत्येक ऐसे बुके में अंतर्विष्ट सभी पे–चैनलों के नामः

बशर्ते कि ऐसी प्रथम रिपोर्ट प्रसारक की वेबसाइट पर साथ ही प्रकाशित की जाएगीः

बशर्ते यह भी कि बुके के नाम, स्वरूप, जेनरे, भाषा, चैनलों के प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य तथा बुके के प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा संरचना, जैसा भी मामला हो, में आगे परिवर्तन किये जाने पर, –

(क) ऐसा परिवर्तन किए जाने के कम से कम तीस दिन पूर्व प्राधिकरण को जानकारी दी जाएगी; और

(ख) साथ ही साथ प्रसारक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(2) प्रत्येक प्रसारक, जो इस खंड के लागू होने के बाद, –––

(क) कोई नया चैनल आरंभ करता है; अथवा
(ख) पे–चैनलों का नया बुके आरंभ करता है ; अथवा
(ग) किसी चैनल को बंद करता है; अथवा
(घ) पे–चैनलों के किसी बुके को बंद करता है;

वह ऐसे चैनलों व बुके को आरंभ करने या बंद करने से कम से कम तीस दिन पूर्व, प्राधिकरण को निम्नवत जानकारी उपलब्ध कराएगा, नामतः

(i) आरंभ किए जाने वाले अथवा बंद किए जाने वाले चैनल का नाम, स्वरूप, भाषा;
(ii) ऐसे पे–चैनल को आरंभ अथवा बंद किए जाने की तिथि;
(iii) पे–चैनल का प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य;
(iv) आरंभ किए जाने वाले अथवा बंद किए जाने वाले बुके के संघटक पे–चैनलों का नाम तथा ऐसे बुके का प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्यः

बशर्ते यह कि चैनल(लों) अथवा बुके को आरंभ करने अथवा बंद करने से संबंधित जानकारी को प्रसारक की वेबसाइट पर भी साथ ही साथ प्रकाशित किया जाएगाः

बशर्ते यह भी कि इस प्रकार आरंभ किए गए चैनलों के नाम, स्वरूप, भाषा, अधिकतम खुदरा मूल्य में आगे कोई परिवर्तन किए जाने और इस प्रकार आरंभ किए गए बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा संरचना, जैसा भी मामला हो, में आगे कोई परिवर्तन किए जाने पर :–

(क) परिवर्तन किए जाने के कम से कम तीस दिन पूर्व प्राधिकरण को जानकारी प्रदान की जाएगी; और

(ख) साथ ही साथ प्रसारक की वेबसाइट पर भी जानकारी प्रकाशित की जाएगी।

7. टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा जानकारी प्रदान किए जाने संबंधी अवश्यकता. –– (1) प्रत्येक टेलीविजन चैनलों का वितरक, इस आदेश के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नवत जानकारी उपलब्ध कराएगा नामतः–

(क) 100 एसडी चैनलों हेतु सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाला प्रतिमाह नेटवर्क क्षमता शुल्क;

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 25 एसडी चैनलों के लिए सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रतिमाह नेटवर्क क्षमता शुल्क;

(ग) उसके वितरण प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों की सूची उनके नाम, स्वरूप, भाषा सहित ;

(घ) उसके वितरण प्लेटफार्म पर उपलब्ध प्रत्येक पे–चैनल का प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य ;

(ड.) प्रसारकों द्वारा तैयार किए गए सभी पे–चैनलों' के बुकों, जो कि उसके वितरण प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं, की सूची साथ ही उनके सबंधित प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य और तत्संबंधी संघटक पे–चैनलों' के नाम;

(च) उसके द्वारा तैयार किए 'पे–चैनलों' के बुकों, जो कि उसके वितरण प्लेटफार्म पर उपलब्ध है, की सूची साथ ही उनके संबंधित प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य तथा तत्संबंधी संघटक पे–चैनलों' के नाम;

(छ) इसके वितरण प्लेटफार्म पर उपलब्ध फ्री टू एयर चैनलों के बुकों की सूची साथ ही तत्संबंधी संघटक फ्री टू एयर चैनलों के नाम;

बशर्ते कि ऐसी प्रथम रिपोर्ट को टेलीविजन चैनलों के वितरक की वेबसाईट पर भी साथ–साथ प्रकाशित किया जाएगाः

बशर्ते यह भी कि नेटवर्क क्षमता शुल्क, चैनलों के नाम, स्वरूप, भाषा, वितरक खुदरा मूल्य तथा पे–चैनलों' के बुकों के वितरक खुदरा मूल्य व संरचना एवं फ्री टू एयर चैनलों के बुकों की संरचना, जैसा भी मामला हो, में बाद में कोई परिवर्तन किए जाने पर .....

(क) परिवर्तन किए जाने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व प्राधिकरण को जानकारी दी जाएगी; और

(ख) वितरक की वेबसाइट पर भी साथ ही साथ प्रकाशित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक टेलीविजन चैनलों का वितरक, जो इस आदेश के लागू होने के पश्चात् अपनी सेवाएं आरंभ करता है, वह प्राधिकरण में सेवाएं आरंभ करने से पूर्व एक रिपोर्ट जमा करेगा जिसमें, इस खण्ड की उप–खण्ड (1) के तहत यथा अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट होगी तथा उसके पश्चात ऐसी जानकारी के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, परिवर्तन किए जाने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व प्राधिकरण को सूचित करेगा।

भाग–IV

विविध

8. अनुपालन अधिकारी को नामोदिष्ट किया जाना एवं उसके दायित्व. ––

(1) प्रत्येक प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, इस खंड के प्रारंभण की तारीख से तीस दिन के अंदर एक अनुपालन अधिकारी को नामजद करेगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, जो इस खंड के लागू किए जाने के पश्चात अपने प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालनों के प्रारंभण की तारीख से तीस दिन के अंदर एक अनुपालन अधिकारी नामजद करेगा।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक ऐसा प्रसारक या वितरक, जैसा भी मामला हो, इस खंड के प्रावधानों उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी नामजदगी की तारीख से तीस दिन के अंदर प्राधिकरण को, बोर्ड के संकल्प, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी की नामजदगी प्राधिकृत की गई हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और ई–मेल का पता प्रस्तुत करेगाः

बशर्ते कि टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, जो एक कंपनी नहीं है, इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी की नामजदगी की तारीख से तीस दिन के अंदर प्राधिकरण को प्राधिकार–पत्र, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी की नामजदगी प्राधिकृत की गई हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और ई–मेल का पता प्रस्तुत करेगा।

(4) इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत नामजद किए गए अनुपालन अधिकारी के नाम में किसी परिवर्तन की स्थिति में, इसे बोर्ड के संकल्प या प्राधिकार पत्र, जैसा भी मामला हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से तीस दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(5) अनुपालन अधिकारी के पते या संपर्क नंबर या ई–मेल के पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से दस दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(6) अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगाः

(क) इस आदेश के प्रावधानों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करना;

(ख) इस आदेश और इस आदेश के अंतर्गत जारी किए गए प्राधिकरण के अन्य निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता द्वारा इस आदेश के अनुपालन हेतु उचित प्रक्रियाएं स्थापित कर दी गई हैं और उनका पालन किया जा रहा है।

(7) उप–खंड (6) में निहित प्रावधान सेवा प्रदाता द्वारा इस आदेश के पालन के दायित्व के अतिरिक्त होगा ।

9. प्राधिकरण की हस्तक्षेप करने की शक्ति. –– (1) प्राधिकरण अपने द्वारा दिये गये आदेश अथवा जारी किये गये निर्देश के द्वारा इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने, अथवा प्रसारण सेवाओं एवं केबल सेवाओं के सब्सक्राइबरों एवं सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने अथवा प्रसारण सेवाओं एवं केबल सेवाओं के संवर्धन एवं उनकी सुव्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने, अथवा प्रसारण सेवाओं एवं

केवल सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा लाने में सहायता और उनमें कुशलता के संवर्धन हेतु हस्तक्षेप कर सकता है ताकि इन सेवाओं की प्रगति में सहायता मिले।

10. निरसन एवं सेविंग. –– (1) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तृतीय) (सीएएस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 तथा इसके समस्त संशोधन और इसके तहत जारी समस्त निर्देशों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 के समस्त प्रावधान तथा उनके समस्त संशोधनों एवं उसके तहत जारी निर्देशों, व्यावसायिक सब्सक्राइबरों पर लागू प्रावधानों के अलावा, का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(3) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2013 तथा उसके समस्त संशोधनों, उसके तहत जारी समस्त निर्देशों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(4) इस खंड के उपखंड (1), (2) एवं (3) के तहत निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ––

(क) निरसित आदेश(शों) के पूर्व प्रचालन अथवा निरसित आदेश(शों) के तहत किया गया कुछ अथवा की गई कोई कार्रवाई; अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित आदेश(शों) के तहत अधीग्रहीत, दिया गया अथवा वहन किया गया कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित आदेश(शों) के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में वहन की गई कोई शास्ति, जब्ती अथवा सजा; अथवा

(घ) उपरोक्त आदेश(शों) का निरसन न किये जाने की स्थिति में, उपरोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा सजा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपचार तथा ऐसी कोई जांच, कानूनी दायित्व अथवा उपचार आरंभ, जारी अथवा प्रवृत्त किया जा सकेगा, तथा ऐसी कोई शास्ति, ज़ब्ती एवं सज़ा लगाई जा सकेगी।

(सुधीर गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

नोट – इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2017 के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या की गई है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

I. पृष्ठभूमि

1. प्रसारण और केबल सेवाओं का विनियमन वर्ष 2004 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा) को सौंपा गया था। उस समय यह क्षेत्र अनालॉग, नॉन–एड्रेसेबल था तथा अत्यंत अविनियमित प्रतीत होता था, जिसमें प्रचालन संबंधी पारदर्शिता नहीं थी, मूल्य उतार–चढ़ाव होता रहता था तथा हितधारकों के हितों में टकराव की स्थिति थी। टेलीविजन चैनलों को सब्सक्राइबरों को, चैनलों के पूर्व–निर्धारित बुके में, प्रदान किये जाते थे । भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल सेवाओं हेतु पहला टैरिफ आदेश 15 जनवरी, 2004 को जारी किया था, जिसमें 26 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार नॉन–एड्रेसेबल काल में मौजूद टेलीविजन चैनलों एवं बुकों की कीमतों पर रोक लगाई गई थी।

2. नॉन–एड्रेसेबल युग में लेगेसी एनालॉग सिस्टम्स में पारदर्शिता का अभाव था। एक ओर जहां प्रसारकों का यह मत था कि टेलीविजन चैनल वितरक अनेक चैनलों को देखने वाले सब्सक्राइबरों की कुल संख्या के बारे में कम जानकारी दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर, टेलीविजन चैनल वितरकों का तर्क था कि प्रसारक सब्सक्राइबरों की संख्या में वर्ष दर वर्ष अनौचित्यपूर्ण वृद्धि की मांग करते थे। इसके अलावा, प्रति चैनल शुल्कों की उनकी मांग अनौचित्यपूर्ण तरीके से अधिक थी। इन मतभेदों की वजह से अक्सर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिसकी वजह से सुगम कारबार नहीं हो पा रहा था और नतीजतन सब्सक्राइबरों को होने वाले अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। समूची एनालॉग वेल्यू श्रृंखला में सब्सक्राइबर राजस्व प्राप्ति में पारदर्शिता बनाये रखने में कठिनाइयों की वजह से वितरण मॉडल प्रमुखतः विज्ञापन–आधारित राजस्व के पक्ष में थे। प्रसारकों का अधिक जोर इस बात को सुनिश्चित करने पर था कि विज्ञापन राजस्व अधिकतम करने के लिये उनके चैनल दर्शकों की अधिक संख्या तक पहुंच बनायें। इस दृष्टिकोण की वजह से प्रसारकों में यह उत्साह हुआ कि वे अपने चैनल बुके के रूप में एमएसओ/एलसीओ को दें। एक बुके वाले पे–चैनलों की अ–ला–कार्टे दरों की राशि की 80 से 90 प्रतिशत तक की छूट बुकों पर प्रदान की गई। कई बार ऐसे बुके बनाये जाते थे ताकि उनमें कुछेक ही प्रसिद्ध चैनल रखे जा सकें जबकि बुके में शेष चैनल सब्सक्राइबरों के लिये वेल्यू फॉर मनी प्रदान नहीं करते थे। इन चैनलों, जोकि खासे प्रसिद्ध नहीं थे, की लागत अक्सर एमएसओ/एलसीओ द्वारा सब्सक्राइबरों से वसूल की जाती थी। ऐसा करते समय सब्सक्राइबर की पसंद पर अत्यल्प विचार अथवा बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता था। इस मॉडल में भेदभाव तथा गैर–पारदर्शी पद्धतियां भरपूर विद्यमान थे तथा परिणामतः अधिक संख्या में विवादों से समूचे टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र की प्रगति प्रभावित हो रही थी।

3. एनालॉग वितरण प्लेटफार्मों में सीमित चैनल कैरिंग क्षमता और टेलीविजन सिग्नलों की गुणवत्ता–दोनों की तुलना में डिजीटल एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के फायदों के दृष्टिगत, भादूविप्रा ने केबल टीवी वितरण नेटवर्कों के डिजीटलीकरण की दिशा में प्रयास आरंभ किये। भादूविप्रा ने 2010 में यह सिफारिश की कि एक अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क बनाने हेतु डिजीटलीकरण की प्रक्रिया चार चरणों में कार्यान्वित एवं निष्पादित की जाये। सरकार ने 25 अक्तूबर, 2011 को केबल टेलीविजन अधिनियम में संशोधन किया तथा उसके तहत बने नियमों में 28 अप्रैल, 2012 को संशोधन किया जिसके फलस्वरूप भारत में डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम का कार्यान्वयन हुआ। यह परिकल्पना की गई कि डिजीटलीकरण प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जायेगी। इनमें से पहले तीन चरणों को काफी हद तक पूर्ण कर लिया गया है और अंतिम चरण मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना है।

4. संसद में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) संशोधन विधेयक, 2011 पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, श्रीमती अम्बिका सोनी ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नवत उल्लेख किया :

'डिजिटलीकरण से प्रत्येक हितधारक को अनेक लाभ पहुंचेगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ आम आदमी को पहुंचेगा, जो कि निःसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण हितधारक है। ***डिजिटलीकरण से उपभोक्ता चैनलों के अ–ला–कार्टे चयन करने में सक्षम होंगे, उन्हें बेहतर गुणवत्ता की तस्वीर देखने को मिलेगी। वे ट्रिपल प्ले, वीडियो ऑन डिमांड आदि मूल्य वर्धित सेवाओं तक पहुंच बना सकेंगे।*** *प्रसारण तथा केबल ऑपरेटर दोनों ही, जो कि सेवा प्रदाता हैं, उनके लिए यह प्रणाली पारदर्शिता, स्पष्टता तथा पूर्ण एड्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप सब्सक्रिप्शन राजस्व में वृद्धि होगी तथा टीआरपी के साथ–साथ विज्ञापन से होने वाले राजस्व पर निर्भरता कम होगी।'*

5. हालांकि डिजीटलीकरण से केबल टीवी नेटवर्कों के सिग्नल की एड्रेसिबिलिटी, क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तथापि डिजीटलीकरण के वास्तविक लाभ, जैसे कि – अ–ला–कार्टे आधार पर चैनलों के चयन का चुनाव एवं मल्टीमीडिया सेवाओं की उपलब्धता अब तक सब्सक्राइबरों तक नहीं पहुंचे हैं। प्रसारकों द्वारा चैनलों के समूह तथा अपने चैनलों को अधिकतम संख्या में सब्सक्राइबरों तक पहुंचाने की प्रवृत्ति मौजूदा डिजीटल एड्रेसेबल परिवेश में भी जारी है क्योंकि बुकों पर बड़ी मात्रा में छूट को प्रसारकों ने जारी रखा है। प्रसारक अक्सर टेलीविजन चैनल वितरकों को अपने समस्त चैनल एक बुके विशेष में रखने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ऐसी छूट का लाभ लेने की शर्तों पर सहमत न होने वाले एमएसओ को मात्र आरआईओ दरों पर सिग्नल प्राप्त होते हैं, जोकि बहुत अधिक दरें हैं और परिणामतः भेदभाव एवं गैर–पारदर्शिता की स्थिति पैदा होती है। अतः अ–ला–कार्टे आधार पर चैनलों की उपलब्धता, कीमतों में पारदर्शिता, भेदभाव किये जाने एवं समान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल से संबंधित मुद्दे एड्रेसेबिलिटी के प्रारंभ के पश्चात् भी जारी रहे।

6. इसके अलावा समूची वेल्यू श्रृंखला में सब्सक्रिप्शन राजस्व की प्राप्ति में पारदर्शिता बनाये रखे जाने के बारे में भी चिंता विद्यमान है। सब्सक्राइबरों से सब्सक्रिप्शन राजस्व का संग्रहण सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में पारदर्शी तरीके से परिलक्षित नहीं होता, परिणामतः एलसीओ, एमएसओ एवं प्रसारकों के मध्य राजस्व के प्रवाह में पारदर्शिता नहीं होती। विभिन्न हितधारकों को भुगतान अत्यधिक मात्रा में लंबित होने के परिणामस्वरूप सिग्नलों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे सब्सक्राइबरों के अनुभव की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और परिणामतः विभिन्न स्तर पर मुकदमेंबाजी की स्थिति उत्पन्न होती है।

7. गैर–पारदर्शी एवं भेदभावपूर्ण पद्धतियों की वजह से विभिन्न हितधारकों में बहुतायत में विवाद उत्पन्न हुए हैं और सब्सक्राइबरों को बगैर किसी सूचना के प्लेटफार्मों से चैनलों को अक्सर ब्लॉक अथवा बंद कर दिया जाता है। इससे सब्सक्राइबर की संतुष्टि नहीं हो पाती एवं परिहार्य शिकायतें उत्पन्न होती है।

8. टी.वी. मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है तथा यह समाज के भिन्न–भिन्न वर्गों तक पहुंचा है। एक ओर जहां सब्सक्राइबरों की अपनी पसंद एवं भुगतान क्षमता के मुताबिक वहनीय अ–ला–कार्टे चैनल एवं समूह में टीवी संबंधित प्रसारण सेवाओं को चुनने की स्वतंत्रता चाहिये, वहीं दूसरी ओर प्रसारकों को सामान्यतः उच्चतर विज्ञापन राजस्व सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम दर्शक चाहिये। इन जटिल एवं असंगत मुद्दों के समाधान के लिए, एक सक्षमकारी माहौल बनाने हेतु भादूविप्रा द्वारा मौजूदा विनियामक ढॉचे, जिसमें टैरिफ, अंतःसंयोजन एवं सेवा–गुणवत्ता भी शामिल हैं, की व्यापक समीक्षा की गई, जिससे कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता, भेदभावरहित माहौल, सब्सक्राइबर संरक्षा और इस क्षेत्र की प्रगति सुनिचित हो सके । इस कार्य के एक भाग के रूप में, 29 जनवरी, 2016 को टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ मुद्दे'' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श के उद्देश्य निम्नलिखित थेः–

(i) थोक एवं खुदरा स्तर पर समूचे डिजीटल ब्रॉडकास्टिंग डिलीवरी प्लेटफार्म (डीटीएच/केबल टीवी/एचआईटीएस/आईपीटीवी) में ''टीवी प्रसारण सेवाओं'' के एड्रेसेबल टीवी वितरण हेतु मौजूदा टैरिफ ढांचे की समीक्षा करना और एक व्यापक टैरिफ ढांचे का विकास करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ फ्रेमवर्क सरल और तर्कसगत हो, ताकि समूची वेल्यू श्रृंखला में पारदर्शिता एवं बराबरी सुनिश्चित की जा सके।

(iii) इस क्षेत्र में बेहतर प्रगति प्रोत्साहित करते हुये समूची वेल्यू श्रृंखला में हितधारकों के मध्य विवादों की संख्या में कमी लाना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि प्रसारण टीवी सेवाओं में सब्सक्राइबरों के पास पर्याप्त पसंद उपलब्ध हो, साथ ही उन्हें अतर्कसंगत टैरिफ फ्रेमवर्कें एवं मूल्यों में वृद्धि की समस्या से बचाया जाये।

(v) टीवी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।

(vi) विभिन्न जेनरों में अच्छी गुणवत्ता वाली विषय वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन।

9. उत्तर में, सब्सक्राइबरों सहित हितधारकों से कुल 60 टिप्पणियां एवं 10 प्रति–टिप्पणियां प्राप्त हुईं थीं। तदंतर दो खुली चर्चाएं (ओएचडी) हुईं, जिसमें पहली चर्चा नई दिल्ली में 8 अप्रैल, 2016 तथा दूसरी रायपुर, छत्तीसगढ़ में 21 अप्रैल, 2016 को हुई थी, जिसमें इन मुद्दों पर वहां मौजूद हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की गई।

10. मौजूदा विनियामक ढांचे में बदलाव करते हुए पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने हेतु भादूविप्रा ने मसौदा दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2016 (मसौदा टीटीओ) जारी किया। हितधारकों से कहा गया कि वे प्रस्तावित टैरिफ ढांचे पर 24 अक्टूबर 2016 तक अपनी टिप्पणी दें। हांलाकि, हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तारीक को 15 नवम्बर, 2016 तक बढ़ा दिया गया। उत्तर में हितधारकों से कुल 135 टिप्पणियां प्राप्त हुई। हितधारकों की टिप्पणियों/मतों और उनके विश्लेषण के आधार पर दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2017 (जिसे इसके पश्चात् टैरिफ आदेश की संज्ञा दी जायेगी) के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया है।

11. प्राधिकरण ने टैरिफ ढांचे को अंतिम रूप देते समय यह नोट किया कि टीवी प्रसारण सेवा वेल्यू श्रृंखला में तीन मुख्य हितधारक हैं – प्रसारक, एलसीओ सहित टेलीविजन चैनलों के वितरक एवं सब्सक्राइबर/दर्शक। प्रसारक चैनल मुहैया कराते हैं। एलसीओ सहित टेलीविजन चैनलों के वितरक, प्रसारकों से प्राप्त टीवी सिगनलों को सब्सक्राइबरों/दर्शकों को वितरण करने हेतु अपने नेटवर्कों की स्थापना करते हैं। सब्सक्राइबर टेलीविजन चैनलों के वितरकों से प्राप्त होने वाली टीवी सेवाओं के लिये कीमत का भुगतान करते हैं। प्रसारक अपने चैनलों की लागत की वसूली करते हैं; टेलीविजन चैनलों के वितरक अपने नेटवर्कों संबंधी पूंजीगत एवं प्रचालनगत व्यय की वसूली करते हैं तथा सब्सक्राइबर एक पारदर्शी ढंग से चैनलों की अच्छी गुणवत्ता, वहनीय मूल्य व्यवस्था और पर्याप्त पसंद की तलाश करते हैं।

12. जैसा कि उपरोक्त पैरा–2 में चर्चा की गई है, मौजूदा टैरिफ मॉडल के परिणामस्वरूप प्रसारकों का राजस्व विज्ञापनों की तरफ झुका हुआ है। विज्ञापन राजस्व पर प्रसारकों की अत्यधिक निर्भरता से दर्शकों की संख्या बढ़ाने हेतु चैनलों के विकास पर प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से कम दर्शकों वाले निश चैनलों में न्यूनतम निवेश हुआ तथा अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु बेसिक सर्विस टीयर पैकेज में ऐसे चैनलों, जो खासे प्रसिद्ध नहीं हैं, का समूहन भी हुआ है। ऐसा करते समय सब्सक्राइबर की पसंद को काफी ज्यादा दरकिनार कर दिया गया है।

13. मौजूदा परिदृश्य में (इस टैरिफ आदेश की अधिसूचना से पहले), टेलीविजन चैनल वितरकों और प्रसारकों के मध्य भिन्न–भिन्न तरीकों से थोक में लेन–देन किया जा रहा है, जैसे कि–

(क) निर्धारित शुल्क (एकमुश्त) का सौदा, जिसमें या तो प्रसारक (इसकी समूह कंपनियों सहित) के समस्त/सारे टीवी चैनल अथवा कुछ चैनलों के लिये वार्षिक निर्धारित लागत ली जाती है, चाहे उन चैनलों के दर्शकों की संख्या कितनी ही हो।

(ख) प्रति सब्सक्राइबर लागत (सीपीएस) संबंधी सौदा, जिनमें कोई प्रसारक अपने समस्त चैनल अथवा अपने चैनलों का कोई समूह प्रति सब्सक्राइबर एक निर्धारित शुल्क पर टेलीविजन चैनलों के वितरक को देता है, चाहे सब्सक्राइबर सभी चैनलों अथवा कुछेक चैनलों को चुनता है।

(ग) प्रसारकों द्वारा, अधिसूचित आरआईओ के अनुसार आरआईओ सौदा। इन सौदों में, प्रसारक इसके द्वारा अधिसूचित प्रति चैनल आरआईओ कीमत की मांग करते हैं। किसी सीपीएस सौदे अथवा किसी निर्धारित शुल्क सौदे के तहत प्रदत्त कीमतों की तुलना में ये कीमतें बहुत अधिक निर्धारित की जाती है। परिणामतः टेलीविजन चैनलों के वितरकों पर प्रसारकों से बातचीत करने तथा/अथवा कोई सीपीएस अथवा किसी निर्धारित शुल्क सौदा करने के लिये दवाब डाला जाता है जिनका असर यह होता है कि सौदे पारदर्शी नहीं होते हैं।

14. ये समस्त सौदे सामान्यतः आपसी बातचीत के नाम पर पारदर्शी नहीं होते और भेदभावपूर्ण होते हैं, जिससे विनियामक ढांचे का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, निर्धारित शुल्क सौदे अथवा सीपीएस सौदे के तहत भारी–भरकम छूट वाली कीमतों से यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में न रखते हुये अधिकांश चैनल उन्हें देखने हेतु दिये जाते हैं। इसी वजह से एक सामान्य बुके में लगभग 200 चैनल होते हैं जबकि कोई सब्सक्राइबर 30 से 40 चैनलों से अधिक चैनलों को नहीं देखता है। यह परिदृश्य प्रसारण और केबल सेवा उद्योग को एक विनियामक, जिसके पास उन दरों को अधिसूचित करने की विशेष शक्ति है जिन पर प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, के नियंत्रण में रखने वाले विधान के मूल प्रयोजन और आशय को नकारता है ।

15. उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण की यह परिकल्पना है कि नये विनियामक ढांचे से निम्नलिखित अवश्य सुनिश्चित होगा –

(i) वेल्यू श्रृंखला में समस्त हितधारकों हेतु पारदर्शिता, भेदभाव रहित माहौल तथा समानता,

(ii) सब्सक्राइबरों हेतु वहनीय टीवी सेवाएं,

(iii) सब्सक्राइबरों/ग्राहकों हेतु पर्याप्त पसंद तथा

(iv) प्रसारकों एवं टेलीविजन चैनलों के वितरकों के व्यावसायिक हितों का संतुलन करना, ताकि टेलीविजन चैनलों के वितरक अपने नेटवर्क की लागत की वसूली कर पायें और प्रसारक अपने चैनलों की कीमत का मुद्रीकरण कर पायें।

16. मसौदा टीटीओ के उत्तर में विशेष प्रावधानों पर टिप्पणी के अतिरिक्त, हितधारकों ने समग्र टैरिफ ढांचे पर कुछ सामान्य टिप्पणियां दी हैं, जिन पर निम्नलिखित खंड में चर्चा की गई है:–

II. मसौदा टीटीओ के बारे में हितधारकों की सामान्य टिप्पणियां

17. मसौदा टीटीओ के उत्तर में प्रसारकों की एक एसोसिएशन सहित अधिकांश प्रसारकों ने यह उल्लेख किया कि प्रसारक कॉपीराइट अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रसारण संगठनों के ही समान हैं। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि कॉपीराइट अधिनियम एक पूर्ण संहिता है तथा इसमें लाइसेंस व्यवस्था, कार्य, रॉयल्टी के भुगतान, कॉपीराइट सोसाइटियों द्वारा टैरिफ निर्धारण, वितरण योजनाओं एवं अन्य मान्यताओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है। इसमें उल्लंघनों/नकल के विरुद्ध प्रवर्तन के उपबंध और लेखकों की रचनाओं के संबंध में प्रौद्योगिकीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन तथा प्रसारण संगठनों के प्रसारण पुनर्निर्माण अधिकारों (बीआरआर) के समस्त पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है। उनका मत है कि मसौदा टीटीओ के विभिन्न प्रावधानों और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के मध्य विरोधाभास है, क्योंकि उनसे विषय–वस्तु के स्वरूप, चैनलों की कीमतों, छूट व्यवस्था, कमीशन, प्रदान किये जाने की रीति, सब्सक्राइबरों (उदाहरणार्थ – व्यावसायिक प्रतिष्ठान) के वर्गीकरण के सामर्थ्य पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध लगता है तथा वे विभेदी टैरिफ, लाइसेंस की अवधि, प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि की मांग करते हैं। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि मसौदा टीटीओ का कोई प्रावधान, जो कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों से टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है, में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

18. कुछ प्रसारकों ने यह भी तर्क दिया है कि मसौदा टीटीओ अधिनस्थ विधान/प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में है तथा इसे कानून यानी कॉपीराइट अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंधन कर रहे हैं।

19. उपर्युक्त आपत्तियों पर विचार किए जाने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित आपत्तियां इस गलत अवधारणा को आश्रय देती होती हैं कि कॉपीराइट अधिनियम तथा ट्राई अधिनियम के मध्य परस्पर व्याप्तता है । कॉपीराइट अधिनियम तथा ट्राई अधिनियम, दोनों, के न्यायाधिकार क्षेत्र नीचे के पैराग्राफ में दिए कारणों के अनुसार पूरी तरह से भिन्न हैं।

20. भादूविप्रा एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत की गई थी तथा इसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सांविधिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिदिष्ट किया गया था। मूल रूप से अधिनियमित इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में प्रसारण सेवाएं शामिल नहीं की गई थीं । तथापि, इस उद्योग को विनियमित करने के महत्व और आवश्यकता को महसूस करते हुए संसद ने भादूविप्रा अधिनियम को संशोधित किया तथा उसमें धारा 2 (1)(ट) को जोड़ा जिसने केंद्रीय सरकार को प्रसारण सेवाओं को ''दूरसंचार सेवा'' के रूप में अधिसूचित करने में समर्थ बनाया । वर्ष 2004 में उक्त संशोधन के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने 09.01.2004 को दो अधिसूचनाएं जारी की, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, ''प्रसारण सेवाओं'' को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया था और अधिनियम के निबंधनों के अनुसार भादूविप्रा को उपलब्ध शक्तियों के अलावा कतिपय मामलों के संबंध में उक्त क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार की अभिपुष्टि की गई थी । इसके अलावा, दिनांक 09.01.2004 की अधिसूचना संख्या 39 के भाग के रूप में जारी का.आ. 45 (अ) द्वारा भी स्पष्ट शब्दों में अंतरिम उपायों को शामिल करते हुए पे–चैनलों की दरों के संशोधन तथा उसकी आवधिकता के लिए मानक मानदण्ड विनिर्दिष्ट करने का अतिरिक्त कार्य भादूविप्रा को सौंपा गया था ।

21. भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत भादूविप्रा को सौंपे गए मुख्य कार्य हैं – दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ, अंतर संयोजन और सेवा गुणवत्ता को विनियमित करना। टैरिफ, अंतर संयोजन और सेवा गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए विनियम और आदेश, व्यापक रूप से जन परामर्श करने के उपरांत जारी किए जाते हैं । ''प्रसारण सेवाओं'' के टैरिफ, अंतर संयोजन और सेवा गुणवत्ता को विनियमित करने के संबंध में विनियम, आदेश और निदेश वर्ष 2004 से जारी किए जा रहे हैं तथा प्रसारकों द्वारा उनमें निहित उपबंधों का पालन किया जा रहा है।

22. टेलीविजन चैनलों की डाउनलोडिंग के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रसारकों को भारत में अपने चैनलों के प्रसारण से पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से अनुमति लेनी होती है। उक्त नीतिगत दिशानिर्देशों के खंड 5.10 में स्पष्टतः यह कहा गया है कि :–

> *''कंपनी/चैनल देश में प्रसारण सेवाओं के विनियम एवं उनकी निगरानी हेतु स्थापित किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा।''*

23. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 9 एवं नियम 10 में भादूविप्रा को स्पष्ट रूप से यह अधिकार दिया गया है कि वह सेवा प्रदाताओं, जिनमें प्रसारक भी शामिल हैं, हेतु टैरिफ, अंतःसंयोजन एवं सेवा–गुणवत्ता मानकों को विहित करे।

24. भादूविप्रा द्वारा किए गए विनियम उपायों की परीक्षा माननीय न्यायालयों के समक्ष बार–बार की गई है। तथापि, टैरिफों के निर्धारण और संशोधन के मामलों में भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार को कायम रखते हुए माननीय न्यायालयों ने यह उचित समझा कि उस मामला विशेष में नए सिरे से विचार करने के लिए उसे वापस भादूविप्रा को सौंप दिया जाए । इस संबंध में, दिए गए कतिपय न्यायिक निर्णयों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है :

(i) दिनांक 09.01.2004 की अधिसूचनाओं को जारी किए जाने के तत्काल पश्चात्, भादूविप्रा ने धारा 11 (2) और उक्त अधिसूचनाओं द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं टैरिफ आदेश, 2004 जारी किया जिसके द्वारा टीवी चैनलों की दरों को 26.12.2003 की स्थिति के अनुसार स्थिर कर दिया । बाद में, उक्त दरों में वृद्धि की अनुमति प्रदान करते हुए आदेश जारी किए गए । धारा 2 (1) (ट) के परंतुक तथा ऊपर उल्लिखित टैरिफ आदेशा को मैसर्स स्टार इंडिया प्रा. लि. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । 146 (2008) डीएलटी 455 के रूप में सूचित दिनांक 09.07.2007 के निर्णय द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ''प्रसारण सेवा'' क्षेत्र को विनियमित करने के लिए धारा 2 (1) (ट) परंतुक कि वैधता और टीआरएएआई के क्षेत्राधिकार और प्रतिवादी टैरिफ आदेशों को कायम रखा । उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने 03.01.2008 के आदेश द्वारा उस चुनौती को अस्वीकृत कर दिया ।

(ii) दिनांक 03.08.2006 की अधिसूचना द्वारा भादूविप्रा ने सीएएस क्षेत्रों में प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह प्रति चैनल 5 रू. की टैरिफ सीमा विनिर्दिष्ट की । इसे पुनः माननीय टीडीसैट के समक्ष चुनौती दी गई। अपील सं. 10 (सी), 2006 दिनांक 27.02.2007 में सेट डिस्कवरी प्रा. लि. बनाम भादूविप्रा एवं अन्य के रूप में दिए गए निर्गम द्वारा माननीय टीडीसैट ने टैरिफ निर्धारित करने तथा सीमा विनिर्दिष्ट करने के भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार को बनाए रखा और साथ ही प्रसारक और डीपीओ/एलसीओ के बीच राजस्व के वितरण के लिए 45 : 55 का अनुपात भी विनिर्धारित कर दिया । इसके बाद, याचिका संख्या 2014 की 295 (सी) दिनांक 07.12.2015 में नौएडा साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बनाम मीडिया प्रो इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लि. में, माननीय टीडीसैट ने अपने उपर्युक्त निर्णय को दोहराया । नोएडा साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बनाम मीडिया प्रो इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लि. मामले में माननीय टीडीसैट के निर्णय पर सांविधिक याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2006 की सिविल अपील संख्या 1446, में दिनांक 26.02.2016 के अपने निर्णय से खारिज कर दिया गया ।

(iii) कतिपय अन्य मामलों में, माननीय न्यायालयों ने भादूविप्रा द्वारा जारी टैरिफ आदेशों में त्रुटियां पाते हुए उन मामलों पर पुन' विचार करने के लिए उन्हें वापिस भादूविप्रा को सौंप दिया है । इस संबंध में, 2006 की अपील सं. 9 (सी) दिनांक 15.01.2009 में एमएसओ एलाइंस इंडस्ट्रियल एरिया बनाम भादूविप्रा और 2014 की अपील सं. 1 (सी) दिनांक 28.04.2015 में सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाम भादूविप्रा में टीडीसैट के निर्णय तथा अपील सं. 829–833/2009 में भादूविप्रा बनाम सेट डिस्कवरी प्रा. लि. में माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 28.02.2014 और सिविल अपील सं. 5159–5164/2015 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन एवं अन्य बनाम सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एवं अन्य में दिनांक 04.08.2015 का निर्णय उल्लेखनीय है ।

25. अतः यह स्पष्ट है कि इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि भादूविप्रा को ''प्रसारण सेवा'' क्षेत्र को विनियमित करने की अधिकारिता है; वस्तुतः स्वयं हितधारकों ने ही बार–बार माननीय न्यायालयों पर दबाव डाला है और उनसे यह निदेश देने वाले आदेश हासिल किए हैं कि भादूविप्रा मामलों पर नए सिरे पर विचार करें जिसमें पे–चैनलों के टैरिफों के नियतन के पहलू भी शामिल हों । इन परिस्थितियों में, ''प्रसारण सेवाओं'' क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार पर विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियां स्पष्टतः भ्रामक हैं । वस्तुतः इस तथ्य की पुष्टि केबल नेटवर्क (विनियमन) नियम, 1944 के नियम 9 द्वारा भी की गई है ।

26. यह तर्क दिया गया है कि भादूविप्रा के उपरोक्त निर्दिष्ट प्राधिकार के बावजूद, चूंकि किए जाने के लिए प्रस्तावित विनियामक उपाय उनके अधिकारों और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पात्रकों के प्रयोग में हस्तक्षेप करेंगे, अतः ये उपाय उक्त परिमाण तक अधिनियम और भादूविप्रा की शक्तियों को अधिकारातीत कर देंगे । इस आपत्ति के दो विशिष्ट परंतु संबद्ध आयाम हैं :–

(i) वे विनियामक उपाय जो सभी डीपीओ को एक भेदभावरहित आधार पर चैनलों के प्रावधान का अधिदेश देते हैं, अन्य के साथ–साथ, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 37 तथा संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(छ) के अंतर्गत प्रसारकों के अधिकारों के अतिक्रामी हैं । दूसरे शब्दों में, ये विनियामक उपाय धारा 37 और अनुच्छेद 19 (1)(छ) के अंतर्गत यथा संरक्षित उनकी ''संविदा की स्वतंत्रता'' के साथ गैर–विधिपूर्वक हस्तक्षेप करते हैं ।

(ii) इस अभिकथन के साथ प्रसारकों की ओर से प्रस्तुत विवाद जुड़ा हुआ है कि टैरिफ की सीमा निर्दिष्ट करने तथा ''अनिवार्यतः उपलब्ध'' कराने वाले विनियामक उपाय उन्हें उनके प्रसारण की विषय–वस्तु के मुद्रीकरण से तथा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 37 के अंतर्गत उनके प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करते हैं।

27. प्राधिकरण ने इन आपत्तियों पर विचार किया है तथा सम्यक् विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चूंकि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और भादूविप्रा अधिनियम दो बिल्कुल अलग क्षेत्रों में प्रचालित होते हैं, अतः किसी भी प्रकार की अतिव्याप्ति अथवा विवाद का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, जैसाकि कुछ हितधारकों द्वारा उल्लेख किया जा रहा है। जबकि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 ''विषय–वस्तु'' और उससे उत्पन्न होने वाले और उससे सहयोजित अधिकारों का निपटान करता है, भादूविप्रा अधिनियम और उसके अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियां एक नितांत पृथक क्षेत्र में प्रचालित होती है ; और जहां तक विनियामक उपायों का संबंध है, प्राधिकरण उस रीति को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है जिसमें इस क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी और जो अंततः सब्सक्राइबर के लाभ तथा उद्योग के विकास के लिए होगा ।

28. संभवतः प्रसारण सेवाओं के विनियमन में सबसे महत्वपूर्ण कारक टेलीविजन चैनलों की दरों की पारदर्शी घोषणा तथा वह रीति है, जिससे ऐसी सेवाएं अंत्य उपभोक्ता/दर्शक को उपलब्ध कराई जाती हैं। अतः प्रसारण सेवाओं के प्रभावी और अर्थपूर्ण विनियमन के लिए पै–चैनलों की पेशकश की रीति अत्यंत महत्वपूर्ण है । तथापि, भादूविप्रा चैनलों के मूल्यों (अ–ला–कार्टे और बुके मूल्यों) तथा अ–ला–कार्टे और बुके के रूप में प्रदान किए जा रहे पे–चैनलों के बीच सहसंबंध के संदर्भ में अपनी विनियामक शक्ति की व्याप्ति और अधिकार क्षेत्र के विषय में सतर्क है ताकि अंत्य प्रयोक्ताओं/सब्सक्राइबरों को पारदर्शी और अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान किया जा सके और उन्हें एक थोपा गया और विकृत विकल्प न मिले । इसीलिए, भादूविप्रा ने विषय–वस्तु के वैयक्तिक अवयव के मूल्य–निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं किया जिसमें कोई पे–चैनल निहित होता है, क्योंकि ऐसा ''वैयक्तिक अवयव'' विषय–वस्तु उत्पादकों (जिसमें प्रसारक भी शामिल हैं) का क्षेत्र होता है जो प्रतिलिप्याधिकार विधि के अंतर्गत अपने कार्यों का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकारों के रूप में हो अथवा किसी अन्य अधिकार के ।

29. ''अनिवार्यतः प्रदान करना'' से संबंधित आपत्ति के संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ये प्रावधान वर्ष 2004 से ही विद्यमान हैं और वस्तुतः इनकी परीक्षा नोएडा साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बनाम मीडिया प्रो इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा.लि. मामले में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के विभिन्न तर्कों के संदर्भ में माननीय टीडीसैट के समक्ष हुई है । माननीय टीडी सैट ने उक्त संदर्भित आपत्तियों को खारिज कर दिया तथा यह निर्णय दिया कि इन ''अनिवार्यतः प्रदान करने'' प्रावधानों ने प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत प्रसारकों के अधिकारों और पात्रताओं, जिसमें अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार भी शामिल हैं, का किसी भी प्रकार से उल्लंधन नहीं किया है तथा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एनएसटीपीएल में माननीय टीडी सैट के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई उक्त सांविधिक अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2016 की सिविल अपील सं. 1466 में अपने आदेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

30. यह भी अभिकथित किया गया है कि उपर्युक्त सभी तथ्यों के होते हुए भी, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में 2012 में किए गए संशोधन के साथ भादूविप्रा का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है तथा जहां तक प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 का संबंध है, अब उसमें स्पष्टतः वे क्षेत्र शामिल किए गए हैं जो पूर्व में भादूविप्रा के विनियामक उपायों द्वारा कवर होते थे अर्थात् धारा 33 क और प्रतिलिप्याधिकार नियम, 2013 के नियम 56 के शामिल किए जाने से अब ''टैरिफ स्कीम'' के लिए एक उपबंध जुड़ गया है । यह स्थिति विशिष्ट विषय–वस्तु तथा भादूविप्रा अधिनियम और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रचालन के क्षेत्रों की त्रुटिपूर्ण समझ के कारण उत्पन्न हुई है । प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 33 क और नियम 56 स्पष्टतः स्थापित करता है कि यह ''टैरिफ स्कीम'' किसी कॉपीराइट के वास्तविक स्वामियों को संदेय ''रॉयल्टी'' से संबंधित है । इसका टीवी चैनलों के लिए टैरिफ विनिर्दिष्ट किए जाने से कोई लेना–देना नहीं है । स्पष्ट तौर पर, यह केवल मुद्रीकरण का एक अन्य तर्क है जो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुल मिलाकर एक विभिन्न परिक्षेत्र में प्रचालन करता है तथा वस्तुतः वर्तमान में प्रारंभ की गई विनियामक प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं है ।

31. अतः प्रसारण और केबल सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को सौंपी गई शक्तियों के संबंध मं कोई अस्पष्टता नहीं है ताकि उसके विनिर्दिष्ट अधिदेश को क्रियान्वित किया जा सके जिसमें क्षेत्र के दर्शकों के हितों का संरक्षण करना भी शामिल है। प्रसारकों पर भादूविप्रा के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का निपटान समय–समय पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा बखूबी किया गया है । प्रसारकों के संबंध में भी टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति प्राधिकरण की सक्षमता के भीतर है ।

32. कुछ हितधारकों का मत है कि मसौदा टीटीओ भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(4) द्वारा अधिदेशित पारदर्शिता के अनुरूप नहीं है क्योंकि विगत में भादूविप्रा ने अपने विभिन्न पूर्व–पत्रों और परामर्शों में दृढ़ता से यह निष्कर्ष निकाला था कि टीवी चैनल सब्सक्राइबरों की ''सम्मानित'' ज़रूरतें हैं। उनके अनुसार, मौजूदा मसौदा टीटीओ इस गलत सिद्धांत पर चलता है कि ये टीवी चैनल आवश्यक सेवाएं हैं और बाजार असफल होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

33. हितधारकों का अभिकथन उचित नहीं है तथा उसका कोई आधार नहीं है क्योंकि दिनांक 29 जनवरी 2016 के परामर्श–पत्र में अथवा मसौदा टीटीओ में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि पे–टीवी चैनल अनिवार्य सेवाएं हैं । इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं है कि कोई विनियामक केवल अनिवार्य सेवाओं को ही विनियमित कर सकता है । ऐसी कोई विधिक अथवा संवैधानिक रोक अथवा सीमा नहीं है कि केवल अनिवार्य सेवाएं ही विनियमित की जा सकती हैं । भारतीय संसद ने अपने विवेक से दूरसंचार सेवाओं जिनमें प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल हैं, को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत भादूविप्रा की स्थापना की है । वस्तुतः भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (1) को मोटे तौर पर पढ़ने से ही यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि भादूविप्रा को केवल अनिवार्य सेवाओं के विनियमन के संबंध में कोई सीमा अधिरोपित किए बगैर प्रसारण उद्योग को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई है । इसके अलावा, माननीय टीडीसैट ने सेट डिस्कवरी बनाम भादूविप्रा एवं अन्य के मामले में 27 फरवरी 2007 के अपने निर्णय में टिप्पणी की कि :–

> *''केवल प्रसारण इस लिहाज से एक अनिवार्य वस्तु नहीं हो सकती कि यह कोई खाद्य सामग्री नहीं है जिसके बगैर कोई जीवित ही नहीं रह सकता, फिर भी देश में टीवी दर्शकों की संख्या के दृष्टिगत इसकी महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि समूचे देश में टीवी दर्शकों की संख्या 68 मिलियन है। इससे स्पष्ट है कि* ***टेलीविजन देखने को इस देश में लगभग एक आवश्यक सेवा का दर्जा प्राप्त हो गया है।''*** (बल दिया गया)

34. जहां तक बाजार की असफलता की बात है, यह सुस्थापित तथ्य है कि जिस मुख्य प्रयोजन हेतु एड्रेसेबिलिटी आरंभ हुई, वह समूची वेल्यू श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा सब्सक्राइबरों के लिये वहनीय दरों पर पर्याप्त पसंद एवं बेहतर सेवा–गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। एक ओर जहां चैनलों की संख्या में वृद्धि, टेलीविजन चैनल प्रसारकों एवं वितरकों के राजस्व के संदर्भ में विगत दशक में प्रसारण उद्योग में अत्यधिक प्रगति हुई है, वहीं आज भी सब्सक्राइबरों के लिये प्रभावी पसंद उपलब्ध नहीं है। हितधारकों के मध्य विवादों की संख्या में भी इज़ाफा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उद्योग में सब कुछ ठीक नहीं है। आज भी सब्सक्राइबर हेतु टीवी चैनलों की अ–ला–कार्टे पसंद भ्रामक है, क्योंकि या तो बुकों की तुलना में, टीवी चैनलों की अ–ला–कार्टे दरें असामान्य रूप से अधिक है जिससे सब्सक्राइबर बुके का चुनाव करने पर मजबूर होते हैं या टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा उन्हें अ–ला–कार्टे पसंद प्रदान नहीं की जाती है। टेलीविजन चैनल वितरकों ने इसकी मुख्य वजह आर्थिक अव्यवहार्यता बताई है क्योंकि उन्हें प्रसारकों से अक्सर अ–ला–कार्टे चैनल नहीं मिल पाते जिसकी वजह सिर्फ यह है कि अ–ला–कार्टे चैनलों की थोक दरें बहुत अधिक हैं तथा बुकों पर अत्यधिक छूट है जोकि चैनलों की अ–ला–कार्टे दरों के योग की राशि के 90 प्रतिशत तक होती है। रजिस्टर ऑफ अंतःसंयोजन एग्रीमेंट रेग्यूलेशंस एवं आरआईओ के तहत भादूविप्रा को प्रसारकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की ओर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि आरआईओ में घोषित दरों तथा उन दरों, जिन पर बाजार में वास्तव में सौदे हो रहे हैं, में अत्यधिक अंतर है। इस बात को एनएसटीपीएल निर्णय में टीडीसैट द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि वास्तविक सौदे आरआईओ कीमतों से काफी कम कीमतों पर हो रहे हैं, जिससे आरआईओ एक अर्थहीन कार्य हो गया है। एनएसटीपीएल निर्णय के पश्चात् भी प्रसारकों द्वारा प्रस्तुत आरआईओ में अवास्तविक रूप से अधिक अ–ला–कार्टे दरें और अत्यधिक सस्ती दरों पर बुके मौजूद है। इससे टेलीविजन चैनल के वितरक अपने आर्थिक अस्तित्व के लिये बुकों का विकल्प चुनने को मजबूर हो रहे हैं और इस तरह वे सब्सक्राइबरों को चैनलों की अ–ला–कार्टे पसंद प्रदान करने में असमर्थ है। अतः यह स्पष्ट है कि एड्रेसेबिलिटी के फायदे सब्सक्राइबरों तक नहीं पहुंच पाये हैं और सब्सक्राइबर अ–ला–कार्टे आधार पर अपनी पसंद के चैनल सब्सक्राइब करने में असमर्थ हैं। इससे बाजार की असफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है। अतः यह भादूविप्रा के लिये आवश्यक है कि वह एक टैरिफ आदेश जारी करे जो सब्सक्राइबरों एवं सेवा प्रदाताओं के हितों की एक साथ रक्षा करे और क्षेत्र की सुव्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करे। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि भादूविप्रा बाजार असफलता के साक्ष्य के बगैर कोई विनियम नहीं बना सकता अथवा टैरिफ आदेश जारी नहीं कर सकता। बाजार असफलता की स्थिति न होने पर भी इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास और सब्सक्राइबर संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु भादूविप्रा टैरिफ आदेश एवं विनियम जारी कर सकता है।

35. कुछ प्रसारकों ने यह बताया है कि मसौदा टीटीओ के प्रावधानों से उनके विज्ञापन संबंधी राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। टिप्पणियों में ऐसे कोई विशिष्ट कारण नहीं बताये गये हैं कि इससे विज्ञापन राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा। अतः वे चाहते थे कि उनके हितों की रक्षा हेतु टीटीओ में संशोधन किया जाये।

36. प्रसारकों की चिंताओं को समझने के लिये यह समझना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा व्यवसायिक मॉडल क्या है। प्रसारक दो माध्यमों अर्थात् विज्ञापनों एवं सब्सक्राइबरों से सब्सक्रिप्शन के जरिये अपने राजस्व की प्राप्ति करते हैं। विज्ञापन राजस्व, प्रत्यक्षतः किसी दिए कार्यक्रम से संबद्ध दर्शकों की संख्या पर निर्भर करता है। टैरिफ मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रसारकों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सब्सक्राइबरों के लिये चैनलों के मूल्य निर्धारण पर उनका नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि खुदरा स्तरीय मूल्य निर्धारण टेलीविजन चैनलों के वितरकों के पास रहता है और वे अपने चैनलों को थोक स्तर पर टेलीविजन चैनलों के वितरकों को देते हैं, अतः थोक स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचता, जिससे विज्ञापन राजस्व को अधिकतम करने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाये ताकि प्रसारक अपने विज्ञान राजस्व और सब्सक्रिप्शन राजस्व को ईष्टतम स्तर पर लाकर अपने राजस्व को अधिकतम कर सकें। तदनुसार प्राधिकरण ने टैरिफ आदेश में प्रसारकों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने चैनलों की अधिकतम खुदरा कीमत प्रत्यक्षतः सब्सक्राइबरों के लिये निर्धारित कर सकें, जिसके बारे में निर्णय वर्तमान में टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा किया जाता है। इससे प्रसारकों को यह

सुविधा मिलेगी कि वे अपने पे–चैनलों की खुदरा कीमतों को इस प्रकार से ईष्टतम स्थिति में ले जायें कि वे सब्सक्रिप्शन एवं विज्ञापनों से अपने राजस्व की राशि को अधिकतम कर सकें। इससे प्रसारकों को यह क्षमता भी मिलेगी कि यदि वे अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर विज्ञापन राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं तो वे अच्छी गुणवत्ता वाले चैनल प्रदान करे अथवा चैनल का मूल्य कम करें।

37. अधिकांश प्रसारकों और उनके एसोसिएशनों ने यह उल्लेख किया है कि मसौदा टीटीओ में उल्लिखित सब्सक्राइबर की परिभाषा में, सामान्य और व्यावसायिक सब्सक्राइबर के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि भादूविप्रा ने इस बाबत कोई परामर्श नहीं किया है कि क्या इस अंतर को पूर्णतः समाप्त करने की कोई आवश्यकता है जो कि किसी 'व्यावसायिक सब्सक्राइबर' और किसी 'सामान्य सब्सक्राइबर' के मध्य कानूनन विद्यमान है। प्रसारकों ने यह बताया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मुद्दा प्रतिलिप्यधिकार कानूनों के विपरीत है, जबकि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में प्रसारण संगठनों को स्पष्टतः यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे घरेलू/निवासी सब्सक्राइबरों की तुलना में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों संबंधी रॉयल्टी एवं लाइसेंस शुल्क की विभेदी दरों की वसूली कर सकते हैं।

38. व्यावसायिक सब्सक्राइबरों से जुड़े प्रावधान दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 में विनिर्धारित हैं। तथापि, व्यावसायिक सब्सक्राइबरों पर लागू प्रावधानों को कुछ प्रसारकों ने टीडीसैट में चुनौती दी थी। याचिकायें माननीय टीडीसैट के समक्ष लंबित हैं। तदनुसार प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 में विहित व्यावसायिक सब्सक्राइबरों पर लागू प्रावधानों को जारी रखने का निर्णय लिया है। मौजूदा टीटीओ व्यावसायिक सब्सक्राइबर से संबंधित नहीं है।

39. कुछ हितधारकों का मत है कि वितरण प्लेटफार्म की परिभाषा में ओटीटी तथा दूरदर्शन सम्मिलित होने चाहिये। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि 'वितरण प्लेटफार्म प्रचालक' की परिभाषा में ओटीटी प्रचालक, दूरदर्शन अथवा सब्सक्राइबरों को विषय–वस्तु वितरित करने वाला कोई भी प्लेटफार्म शामिल होना चाहिए।

40. इस संबंध में यह टैरिफ आदेश केवल उन वितरण प्लेटफार्मों और वितरण प्लेटफार्म प्रचालकों पर ही लागू है जिनके लिये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोई अनुमति अथवा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। क्योंकि ओटीटी प्रचालक और दूरदर्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त किसी अनुमति अथवा लाइसेंस में शामिल नहीं है, अतः प्राधिकरण हितधारकों के इन सुझावों से सहमत नहीं है, कि वे मौजूदा ढांचे में शामिल नहीं हैं।

III. मुद्दों का विश्लेषण

A. टैरिफ मॉडल

41. परामर्श पत्र के अध्याय–4 में डिजीटल एड्रेसेबल टीवी प्रसारण क्षेत्र के मौजूदा व्यवसायिक मॉडल की समग्र पुनः जांच हेतु संभावित टैरिफ मॉडल को तीन श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया था जैसे कि थोक स्तर पर मॉडल, खुदरा स्तर पर मॉडल, और समेकित मॉडल। सुझाये गये इन मॉडलों के बारे में हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई।

थोक स्तर पर मॉडल

42. थोक स्तरीय मॉडल में, टीवी चैनलों के सिगनल, प्रसारकों द्वारा टेलीविजन चैनलों के वितरकों को दिये जाते हैं। टेलीविजन चैनलों के वितरक एफटीए चैनलों को निःशुल्क प्राप्त करते हैं। टेलीविजन चैनलों के वितरकों को पे–चैनल प्रसारकों द्वारा घोषित थोक मूल्यों पर मुहैया कराये जाते हैं।

43. थोक स्तरीय टैरिफ हेतु विभिन्न मॉडल परामर्श पत्र में सुझाये गये थे। अधिकांश प्रसारक थोक स्तर पर टैरिफ मॉडल के लिए अपनी पहली पसंद के रूप में फोरबीयरेन्स के पक्षधर थे। कुछ प्रसारक विनियमित आरआईओ मॉडल' अथवा 'विनियमित और लचीले आरआईओ मॉडल के संगम के पक्षधर थे। अधिकांश बड़े टेलीविजन चैनलों के वितरक 'समेकित वितरण मॉडल' के पक्षधर थे। उन्होंने यह भी बताया कि समूहन अथवा पैकेजिंग का विकल्प प्रसारकों के पास नहीं होना चाहिए तथा गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर प्रसारकों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली अधिकतम छूट भी भादूविप्रा द्वारा परिभाषित की जानी चाहिये। अधिकांश अन्य टेलीविजन चैनलों के वितरक 'विनियमित आरआईओ मॉडल' के पक्षधर थे, जबकि कुछेक डीटीएच प्रचालक थोक स्तर पर 'लागत–आधारित मॉडल' के पक्षधर थे।

खुदरा स्तर पर मॉडल

44. खुदरा स्तर पर टीवी चैनलों का सब्सक्राइबरों को वितरण टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा या तो सीधे तौर पर या एलसीओ के माध्यम से किया जाता है। टेलीविजन चैनलों के वितरक विभिन्न प्रसारकों से टीवी चैनलों को एकत्र करते हैं और उन्हें अ–ला–कार्टे और बुके आधार पर सब्सक्राइबर को देते हैं। वर्तमान में एफटीए और पे–चैनल, दोनों, के लिए एड्रेसेबल प्रणाली के तहत खुदरा टैरिफ फोरबीयरेन्स में है अर्थात टेलीविजन चैनलों के वितरक बाजार की स्थिति के अनुसार इनके मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

45. परामर्श–पत्र में कई प्रकार के मॉडल्स का खुदरा स्तर पर टैरिफ के लिए सुझाव दिया गया था। अधिकांश प्रसारक खुदरा स्तर पर मूल्य फोरबीयरेन्स को जारी रखने के पक्ष में थे। एक प्रसारक ने विशिष्ट अ–ला–कार्टे मॉडल का सुझाव दिया था। अधिकांश वितरक खुदरा स्तर पर मूल्य फोरबीयरेन्स के पक्ष में थे। कुछ टेलीविजन चैनल के वितरकों ने समेकित वितरण मॉडल तथा अ–ला–कार्टे मॉडल का सुझाव दिया था। केबल ऑपरेटरों के एक संघ ने विभिन्न स्लैब प्रदत्त पे टीवी चैनलों के साथ विशिष्ट अ–ला–कार्टे मॉडल का सुझाव दिया था तथा फ्री–टु–एयर चैनलों को रू 1/– पर नियत करने का सुझाव भी दिया था। सब्सक्राइबर संगठनों, अलग–अलग व्यक्तियों और संघों ने टैरिफ मॉडल पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी थी तथा मूल्य फोरबीयरेन्स या अ–ला–कार्टे मॉडल या एमआरपी आधारित मॉडल का सुझाव दिया था।

समेकित मॉडल

46. समेकित मॉडल में पृथक थोक या खुदरा स्तर टैरिफ नहीं है। प्रसारक सब्सक्राइबरों के लिए अपने पे–चैनलों और बुके का मूल्य सीधे तौर पर घोषित करते हैं।

47. अधिकांश प्रसारक समेकित वितरण मॉडल के पक्ष में नहीं थे। अधिकांश एमएसओ व कुछ डीटीएच प्रचालक समेकित वितरण मॉडल के पक्ष में थे। उनका कहना था कि प्रसारकों द्वारा अपने सभी पे–चैनलों को अलकार्ट आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए साथ ही ग्राहकों/सब्सक्राइबरों के लिए सीधे तौर पर प्रत्येक चैनल के लिए दर निर्धारित होनी चाहिए। उनकी यह भी इच्छा थी कि एफटीए चैनलों को टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एक बंडल में रखा जाना चाहिए और इस प्रकार सब्सक्राइबर को बंडल रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चैनलों के बंडल बनाने या पैकेज करने का विकल्प टेलीविजन चैनलों के वितरकों के पास होना चाहिए, न कि प्रसारकों के पास। प्रसारकों द्वारा निर्धारित की गई अ–ला–कार्टे दरें भादूविप्रा द्वारा निर्धारित जेनरे कैप के अनुरूप होनी चाहिए।

पेशकश देने के तरीके : एक्सक्लूसिव पे एण्ड एफटीए बुके

48. परामर्श पत्र में हितधारकों से कहा गया कि वे सुझाव दें कि क्या एफटीए और पे–चैनलों के बुके को पृथक करने से सब्सक्राइबरों के लिए चैनलों के चयन में अधिक लचीलापन उपलब्ध होगा और यह सब्सक्राइबर के लिए अधिक हितैषी होगा।

49. प्रतिक्रिया में अधिकांश प्रसारकों ने यह सुझाव दिया था कि चैनलों को पैकेज करने का विकल्प टेलीविजन चैनलों के वितरकों के पास होना चाहिए और एफटीए चैनलों और पे–चैनलों के लिए पृथक रूप से बुके नहीं होने चाहिए। उन्होंने बताया है कि पृथक बुके होने से उतने ही चैनलों के लिए सब्सक्राइबरों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। अधिकांश टेलीविजन चैनलों के वितरक और केबल प्रचालकों के संघ, सब्सक्राइबरों को व्यापक पसंद का विकल्प देने के लिए, पे–चैनलों और एफटीए चैनलों के लिए पृथक बुके के पक्ष में थे। टेलीविजन चैनलों के कुछ वितरक तथा एक व्यक्ति का यह मानना था कि यह निर्णय टेलीविजन चैनलों के वितरकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

50. हितधारकों से परामर्श पत्र पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की व्यापक जांच करने के लिए उपरांत, प्राधिकरण ने मसौदा टीटीओ के माध्यम से टैरिफ फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया था। ऐसा करते समय, प्राधिकरण ने सेक्टर के सभी हितधारकों से परामर्श पत्र पर प्राप्त लिखित प्रतिक्रियाओं और खुला मंच चर्चा के दौरान व्यक्त चिंताओं पर विचार किया। इसके साथ ही वर्तमान टैरिफ फ्रेमवर्क की कमियों की भी समीक्षा की गई। तद्नुसार, मसौदा टीटीओ में यह प्रस्ताव किया गया कि प्रसारक, अपने अ–ला–कार्टे पे–चैनलों के लिए सब्सक्राइबरों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)(कर छोड़कर) घोषित करेगा। प्रसारक, अपने पे–चैनलों के बुके की पेशकश भी कर सकता है तथा सब्सक्राइबरों हेतु बुके के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)(कर छोड़कर) घोषित करेगा। तथापि, इस प्रकार के पे–चैनलों के बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), बुके के भाग बनने वाले अ–ला–कार्टे पे–चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य के कुल योग के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा। आगे, यह भी प्रस्ताव किया गया कि 100 एसडी चैनलों की नेटवर्क क्षमता प्राप्त करने के लिए, टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा सब्सक्राइबरों से मासिक किराये के रूप में अधिकतम 130/–रुपए (कर छोड़कर) प्राभारित किया जाएगा। वितरकों को विभिन्न प्रसारकों के अ–ला–कार्टे पे–चैनलों को शामिल करते हुए अपना बुके तैयार करने की अनुमति होगी। यह भी प्रस्ताव किया गया कि 100 एसडी चैनल के अंदर, भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइबरों को अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने वाले चैनलों के अतिरिक्त, सब्सक्राइवर कोई भी फ्री–टु–एयर चैनल, पे–चैनल, प्रीमियम चैनल या प्रसारकों द्वारा पेशकश किए जाने वाले बुके या टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा पेशकश किए जाने वाले बुके का चयन कर सकता है।

51. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया कि कुछ अन्य देशों में विनियामक बाजार में सक्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों के विनियमन में उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं तथा थोक दरों, पैकेजिंग विकल्प जैसे निर्णयों को बाजार में विद्यमान संस्थाओं पर छोड़ देते हैं । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि थोक स्तर के टैरिफ पर फोरबीयरेन्स की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि पे–टीवी उद्योग के सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा विद्यमान है तथा प्रसारकों को बाजार की गतिशीलता के अनुसार उनके चैनलों का मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए । कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि यदि फोरबीयरेन्स की पेशकश की जाती है, तो चैनलों की दरें बाजार और प्रतिस्पर्धा चालित हो जाएंगी तथा वास्तविक मांग और आपूर्ति मूल्य–निर्धारण को नियंत्रित करेगी जिसमें फलस्वरूप नए–नए प्रस्तावों के साथ दरों में प्रभावी रूप से कटौती होगी ।

52. प्राधिकरण ने इस संबंध में हितधारकों के दृष्टिकोणों पर विचार किया है तथा उसका यह मत है कि प्रसारकों को उनके चैनलों का मुद्रीकरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और व्यापारिक लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए । तद्नुसार, प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि वह पे–चैनलों के एमआरपी पर विषय–वार सीमा निर्दिष्ट नहीं करेगा । तथापि, प्राधिकरण को आशा है कि प्रसारक पूर्ण पारदर्शिता, भेदभावरहित व्यवहार तथा अपने चैनलों का मूल्य–निर्धारण करते समय सब्सक्राइबरों के हित का संरक्षण सुनिश्चित करेंगे । यह आशा की जाती है कि प्रसारक अपने चैनलों का मूल्य–निर्धारण यथोचित रूप से करेंगे तथा डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटीके कारण अर्जित उच्च राजस्व के लाभों की हिस्सेदारी सब्सक्राइबरों के साथ भी करेंगे ।

53. कुछ हितधारकों का सुझाव था कि भादूविप्रा द्वारा लागत के आधार चैनलों के मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

54. इस संबंध में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः एक चैनल में कई कार्यक्रम होते हैं। कलाकारों, सेट–अप लागत, पटकथा, कॉपी राइट्स तथा अन्य विविधकारकों के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के उत्पादन लागत में बहुत अंतर होता है। किसी एक चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों में भी अक्सर बदलाव होता रहता है जो उनके टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी), विज्ञापन संभावना और अन्य आधारभूत रिपोर्टों पर आधारित होता है। इसलिए किसी चैनल के उत्पादन लागत को निर्धारित करना सदैव ही एक अति कठिन कार्य होता है, कदाचित लगभग असंभव होता है। तथापि, मूल्य का इस प्रकार निर्धारण गतिशील स्वरूप का होगा और चैनल में कार्यक्रम में बदलाव के साथ बदल सकता है। टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रमों में बहुत परिवर्तन होता है और इस प्रकार किसी टीवी चैनल के मूल्य कॉस्ट प्लस आधार पर तय करना अव्यावहारिक होता है।

55. प्रसारकों ने यह भी इंगित किया है कि कई बार किसी चैनल का मूल्य निर्धारण टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा विभिन्न वितरण प्लेटफार्मों पर अलग–अलग तरह से किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि टेलीविजन चैनलों के वितरकों को किसी चैनल के खुदरा स्तर पर मूल्य निर्धारण की छूट है और वे कृत्रिम मूल्य बाधा पैदा कर किसी चैनल के सब्सक्रिप्शन की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि प्रसारकों के पास इस प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

56. दूसरी तरफ टेलीविजन चैनलों के वितरकों का विचार है कि कई चैनलों का मूल्य प्रसारकों द्वारा काफी अधिक तय किया जाता है, जिनकी अमुक मूल्य पर सब्सक्राइबरों के बीच कोई मांग नहीं होती है। तथापि, प्रसारक अपने प्रभुत्व या मुख्य चैनल की शक्ति का उपयोग ऐसे चैनलों को सब्सक्राइबरों द्वारा ऐसे चैनलों के लिए बिना अपने विकल्प को अपनाए उन पर जबरन थोपने के लिए करते हैं।

57. यह पाया गया है कि प्रसारकों को राजस्व की प्राप्ति दो पृथक माध्यमों सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन से होती है। प्रसारक सामान्यतः अपने चैनलों के बड़ी संख्या में दर्शक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर देखे जाने वाले लोकप्रिय चैनल उपलब्ध कराते हैं, जिससे विज्ञापनों से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके। कई मुद्दों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण का मानना है कि सब्सक्राइबरों को उचित मूल्य पर चैनल के चयन करने की छूट होनी चाहिए। यद्यपि किसी चैनल के वास्तविक लागत को तय करना कठिन कार्य है, तथापि, किसी सब्सक्राइबर द्वारा किसी चैनल के कथित मूल्य को ही वास्तविक मूल्य माना जा सकता है।

58. यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 के प्रस्ताव पर संसद में चर्चा के दौरान, तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा था कि **भादूविप्रा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करेगा जिसमें उपभोक्ता अपनी पसंद के अ–ला–कार्टे चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा उन्हें बुके सब्सक्राइब करना आवश्यक नहीं होगा ।** अतः यह उचित ही होगा कि प्रसारक अपने पे–चैनलों के एमआरपी सब्सक्राइबरों को सूचित करें जो अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए । ये दरें प्लेटफार्म अज्ञेयवादी होंगी, अर्थात् सभी प्लेटफार्मों (केबल टीवी, डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीपी) के लिए एकसमान होंगी ।

59. सब्सक्राइबरों के लिए प्रसारकों द्वारा एमआरपी का निर्धारण एक प्रकार से पे–चैनलों के मूल्यों को स्वतः विनियमित करेगा चूंकि उच्च मूल्य से उन सब्सक्राइबरों की संख्या में कमी आएगी जो ऐसे चैनलों को देखते हैं और इस प्रकार विज्ञापन राजस्व प्रभावित होगा। इससे प्रसारकों को लचीलापन मिलेगा, जिससे वे किसी पे–चैनल के खुदरा मूल्य को इस प्रकार इष्टतम बना सकें, कि वे विज्ञापन एवं सब्सक्रिप्शन से अपने राजस्व को अधिकतम कर सके। इससे प्रसारकों को अपने चैनलों के एमआरपी को कम करने की क्षमता मिल जाएगी, यदि वे अपने दर्शकों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो ।

60. मसौदा टीटीओ में प्रसारकों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उनके चैनलों के भिन्न–भिन्न एमआरपी घोषित करने की अनुमति दी गई थी । प्रसारकों को किसी चैनल को एक भौगोलिक बाजार में पे–चैनल घोषित करने तथा उसी चैनल को किसी अन्य भौगोलिक बाजार में फ्री–टू–एयर घोषित करने की अनुमति भी दी गई थी।

61. उपर्युक्त वर्णित मुद्दे के संबंध में कुछ प्रसारकों का मानना है कि विभेदकारी मूल्य निर्धारण पद्धति से प्रसारकों को लक्षित भौगोलिक क्षेत्र में सब्सक्राइबरों को छूट प्रदान करने में मदद मिलेगी, जबकि उन भौगोलिक क्षेत्रों में राजस्व बनाए रखने में मदद मिलेगी जहां कोई प्रचलित चैनल लोकप्रिय हैं। तथापि, आगे उन्होंने उल्लेख किया है कि विशिष्ट राज्य में विभिन्न भाषा और उस राज्य के विभिन्न भागों में लोगों की विभिन्न पसंदों के कारण भौगोलिक क्षेत्र में अंतर्निहित अंतरों पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे तथा अहमदाबाद जैसे बड़े और मेट्रो शहरों को अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

62. दूसरी तरफ टेलीविजन चैनलों के अधिकांश वितरकों का यह मत है कि किसी चैनल का एमआरपी पृथक भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न रखने की बजाय पूरे देश में एक समान होना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मूल्य निर्धारण में बदलाव भेदभावपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा है कि मसौदा टीटीओ में भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में निर्धारण किसी अध्ययन या किसी आंकड़े पर आधारित नहीं है और यह कार्य इस विषय में हितधारकों को अपनी राय दिए जाने का अवसर दिए बिना किया गया है। कुछ एमएसओ का मानना है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न टैरिफ तय करने से प्रणाली से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी क्योंकि टीवी चैनलों के अधिकांश वितरकों के पास एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में सेवा देने के लिए एक ही हैड–एंड हैं। उनके अनुसार, एसटीबी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के मामले में उन्हें परिभाषित और नियंत्रित करना संभव नहीं होगा और एसटीबी के भौगोलिक स्थितियों के आधार पर सब्सक्राइबरों के टैरिफ प्लान में उपयुक्त बदलाव करना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ईपीजी में उल्लिखित चैनलों की विभिन्न दरों का प्रबंधन और नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा। डीटीएच प्रचालकों ने भी यह कहा है कि उनके पास सब्सक्राइबरों की सही अवस्थिति जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है। उनका यह मत है कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभेदकारी मूल्य निर्धारण का दुरुपयोग किया जा सकता है और इससे हितधारकों के बीच भुगतान निपटारे से संबंधित विवाद होने की संभावना है।

63. प्राधिकरण ने भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित चैनलों के विभेदकारी मूल्य निर्धारण से संबंधित कठिनाइयों के संबंध में हितधारकों की चिंताओं को नोट किया है। पूरे देश में चैनलों के कार्यक्रम समान होते हैं और इसलिए इनका भिन्न–भिन्न मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, डीटीएच प्रचालकों के लिए भौगोलिक आधार पर विभेदकारी टैरिफ निर्धारण करना कठिन हो सकता है क्योंकि उनके सभी चैनल पूरे देश में प्रसारित किए जाते हैं। वर्तमान विनियमन में भिन्न क्षेत्रों में चैनलों का विभेदकारी मूल्य निर्धारण का प्रावधान है। तथापि, भादूविप्रा को प्रसारकों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर बहुत कम ही प्रसारक इस प्रावधान का प्रयोग कर रहे हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर चैनलों के विभेदकारी मूल्य निर्धारण को समाप्त किया जाए। तथापि, यदि प्रसारक चाहता है कि वह किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी चैनल के कम मूल्य की पेशकश करना चाहे तो वह ऐसा करने के लिए उस क्षेत्र के टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों को समान छूट देने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अंतःसंयोजन विनियमों में विहित छूट की सीमा का पालन हो।

64. प्राधिकरण ने नोट किया है कि वर्तमान में चैनलों का अ–ला–कार्टे आधार पर चयन, बुके के सब्सक्रिप्शन की तुलना में नगण्य है। विश्लेषण से पता चला है कि अ–ला–कार्टे चैनलों का इस प्रकार से कम चयन किए जाने मुख्य कारण यह है कि अ–ला–कार्टे चैनलों का मूल्य बुके की दरों की तुलना में बहुत अधिक है और इसके अतिरिक्त इन दोनों दरों के बीच कोई सुपरिभाषित संबंध नहीं है। भादूविप्रा के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा दिए जा रहे कुछ बुके उस बुके के घटक अ–ला–कार्टे चैनलों के दरों के योग के 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत छूट पर दिए जा रहे हैं। प्रसारकों से उन छूट को प्राप्त करने के

लिए टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा कुछ योग्यता शर्तों/मानदंड पूरी करनी होती हैं, जिन पर ये छूट आधारित होती है। बहुत अधिक छूट सब्सक्राइबरों को केवल बुके को लेने के लिए बाध्य करती है तथा सब्सक्राइबरों के लिए विकल्प को कम करती है। परिणामतः यद्यपि तकनीकी तौर पर, अ–ला–कार्टे चैनल की दरें घोषित की जाती है, यह दरें भ्रामक होती हैं और सब्सक्राइबरों के समक्ष बुके चुनने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। प्रसारकों द्वारा तैयार बुके में केवल कुछ लोकप्रिय चैनल होते हैं। सामान्यतः टेलीविजन चैनलों के वितरकों को पूरा बुके लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि अन्यथा उन्हें लोकप्रिय चैनल देने से मना कर दिया जाता है या उन्हें चैनल आरआईओ मूल्य पर दिए जाते है। यह मामला तब और खराब हो जाता है, जब टेलीविजन चैनलों के वितरकों को इस प्रकार भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि बुके के सभी चैनल उनके सभी सब्सक्राइबरों द्वारा देखे जाते हों, जबकि तथ्य यह है कि लोकप्रिय चैनलों को ही ज्यादा दर्शक देखते हैं। इस स्थिति में खुदरा स्तर पर टेलीविजन चैनलों के वितरकों के समक्ष इन चैनलों को अधिकतम दर्शकों को जबरन देते हैं ताकि लागत वसूल की जा सके। बुके आधारित विपणन रणनीति पृथक चैनलों की तुलना में बुके के प्रतिकूल मूल्य निर्धारण का कारण बनती है। परिणामतः, सब्सक्राइबरों को अपनी पसंद के अ–ला–कार्टे चैनलों की बजाय बुके का चयन करना पड़ता है। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में जनसाधारण को सामान्यतः अवांछित चैनलों के लिए भुगतान करना पड़ता है और प्रभावतः इससे सब्सक्राइबर की चयन करने की क्षमता समिति होती है। बुके में बड़ी संख्या में अवांछित चैनलों को बंडल किए जाने से डीपीओ के नेटवर्क की क्षमता कृत्रिम रूप से पूर्ण हो जाती है। यह नए टेलीविजन चैनलों के लिए प्रवेश अवरोध के रूप में कार्य करती है।

65. विधि निर्माताओं द्वारा अधिकल्पित अलग–अलग चैनल चुनने के उद्देश्य के अनुसार, सब्सक्राइबर को अपने विकल्प का चयन की सुविधा प्रदान करने के लिए, नए फ्रेमवर्क में प्रसारक सब्सक्राइबरों के लिए अ–ला–कार्टे चैनलों और पे–चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अ–ला–कार्टे चैनलों के मूल्य उचित रखे जाएं तथा बुके को तैयार करने में अनुमेय अधिकतम छूट को उस बुके के घटक पे–चैनलों की अ–ला–कार्टे कीमतों के कुल योग से संबद्ध किया गया है। कोई प्रसारक अपने बुके के लिए, उस बुके में सम्मिलित सभी पे–चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों के योग के 15 प्रतिशत तक की छूट दे सकता है ताकि सब्सक्राइबर अ–ला–कार्टे पेशकश से अपनी पसंद का चैनल चुन सकें और विषम अ–ला–कार्टे और बुके के मूल्य निर्धारण को रोका जा सके (उदाहरण 1 देखें)। प्रसारकों द्वारा सब्सक्राइबरों को पेशकश किए जाने वाले बुके में बिना कोई बदलाव किए बिना वितरक द्वारा सब्सक्राइबर को ऐसे बुके की पेशकश की जाएगी। यदि प्रसारक को लगता है कि बुके के निर्माण में और अधिक छूट दी जा सकती है, तो परोक्षतः इसका अर्थ यह है कि पहले अ–ला–कार्टे मूल्य अधिक रखा गया है और इस प्रकार के मूल्य को संशोधित करते हुए कम करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, यदि कोई हो, तो प्रसारकों को अ–ला–कार्टे आधार पर अपने पे–चैनलों के मूल्य घोषित करने की पूरी स्वतंत्रता है।

66. कुछ हितधारकों का मत है कि बुके तैयार करते समय उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट में कमी करना, उपभोक्ता विरोधी है। इस संबंध में, जबकि प्राधिकरण उपभोक्ताओं को अ–ला–कार्टे चयन की उपलब्धता प्रदान करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर यह व्यापार हेतु प्रसारकों तथा वितरकों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करना चाहता है। संसद में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) संशोधन विधेयक, 2011 पर विचार करने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने पसंद के अ–ला–कार्टे चैनलों का चयन करने हेतु उपभोक्ताओं के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। प्राधिकरण ने इस संबध में अनेक प्रयास किए हैं, परंतु किसी न किसी कारण से वे सफल नहीं हो पाए हैं। यहां यह समझना आवश्यक है कि प्राधिकरण, विषयवस्तु के मूल्य निर्धारण के अभाव में चैनलों का मूल्य निर्धारण नहीं कर पाया है। मौजूदा रूझान यह दर्शाता है कि अधिकांश चैनलों का मूल्य निर्धारण, विहित अधिकतम सीमा से कहीं नीचे किया जाता है, जबकि उच्च सीमा इसलिए विहित की जाती है ताकि प्रसारकों को अपने चैनलों से लाभ अर्जित करने हेतु लचीलापन प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, यहां तक कि समान जेनरे में अलग–अलग चैनलों को तैयार करने की लागत तथा उनकी लाभ अर्जन की क्षमता पृथक होती है, परंतु समान ढांचे के भीतर। एक प्रसारक गैर–मुख्य चैनलों का भी उच्च मूल्य पर मूल्य निर्धारण कर सकता है, जिसके वे हकदार नहीं होते हैं। किसी

बाजार में किसी चैनल के उचित मूल्य का पता न लग पाना एक ऐसी बाधा है जिसका किसी चैनल के अ–ला–कार्टे मूल्य निर्धारण हेतु दुरुपयोग किया जा सकता है तथा इसमें गड़बडी की जा सकती है, जिस दृष्टि से यह भ्रामक भी है। ऐसे उच्च अ–ला–कार्टे मूल्य प्रसारक/वितरक को, उपभोक्ताओं को गैर–मुख्य चैनलों को बुके के रूप में प्रदान करने हेतु उच्च छूट देने की अनुमति देते हैं जबकि इससे पसंद के अ–ला–कार्टे चैनल को चयन करने की संभाव्यता कम हो जाती है, जैसा कि विधि निर्माताओं द्वारा संसद में अपेक्षा की गई थी। उच्च छूट का उपयोग करके अ–ला–कार्टे चैनल की अपेक्षाकृत बुके को जबरन प्रदान करने को निम्नवत उदाहरण से समझा जा सकता है जहां किसी प्रसारक के पास कुल 35 पे– चैनल हैं जिसमें से केवल पांच ही मुख्य चैनल हैं:

तालिका 1: अ–ला–कार्टे बनाम बुके का मूल्य

चैनल	75 प्रतिशत छूट	60 प्रतिशत छूट	45 प्रतिशत छूट	30 प्रतिशत छूट	15 प्रतिशत छूट
चैनल 1 अ–ला–कार्टे मूल्य	19	19	19	19	19
चैनल 2 अ–ला–कार्टे मूल्य	10	10	10	10	10
चैनल 3 अ–ला–कार्टे मूल्य	12	12	12	12	12
चैनल 4 अ–ला–कार्टे मूल्य	5	5	5	5	5
चैनल 5 अ–ला–कार्टे मूल्य	4	4	4	4	4
पांच मुख्य पे–चैनलों के अ–ला–कार्टे मूल्यों का योग	50	50	50	50	50
तीस गैर–मुख्य पे–चैनलों के अ–ला–कार्टे मूल्यों का योग (एक रुपए की दर से)	30	30	30	30	**30**
पैंतीस अ–ला–कार्टे पे–चैनलों के मूल्यों का योग	80	80	80	80	**80**
पैंतीस पे–चैनलों के बुके का मूल्य (अ–ला–कार्टे दरो के योग पर छूट सहित)	20	32	44	56	**68**

उपर्युक्त तालिका यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि इन पे– चैनलों का बुके तैयार करते समय पे– चैनलों के अ–ला–कार्टे मूल्य के योग की तुलना में प्रसारक द्वारा पेशकश की गई छूट की राशि काफी अधिक (75 प्रतिशत) हो तो, अ–ला–कार्टे मूल्य के योग की तुलना में बुके का मूल्य इतना कम हो जाता है कि यह लगभग एक मुख्य चैनल के अ–ला–कार्टे मूल्य के समतुल्य हो जाता है। ऐसी छूट की राशि उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल है चूंकि यह चैनलों के अ–ला–कार्टे चयन को हतोत्साहित करती है। जैसे–जैसे बुके को तैयार करने पर छूट की राशि कम होती जाती है वैसे–वैसे बुके के मूल्य तथा अ–ला–कार्टे मूल्यों के योग का अंतर भी कम होता है। यदि छूट की राशि को 15 प्रतिशत तक निर्धारित किया जाए तो, बुके का मूल्य मुख्य अ–ला–कार्टे चैनलों के मूल्यों के योग से अधिक हो जाता है; जिससे उपभोक्ता अपनी पसंद का अ–ला–कार्टे चैनल का चयन करने हेतु प्रोत्साहित होता है।

67. वर्तमान विनियामककारी ढ़ांचे में ऐसे उदाहरण भी संज्ञान में आए हैं जब घोषित किए गए आरआईओ मूल्य पर प्रसारक द्वारा 90 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। स्पष्टतः ऐसे प्रयासों से प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है अ–ला–कार्टे चयन कम हो जाता है जो कि

उपभोक्ता के प्रतिकूल है। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रसारक द्वारा थोक स्तर पर प्रदान किए जाने वाली छूट की सीमा 15 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त वितरकों द्वारा खुदरा स्तर पर प्रदान किए जाने वाली छूट की सीमा 15 प्रतिशत विहित की है। खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला निवल प्रभाव यह होगा कि उन्हें चैनलों के बुके पर लगभग 30 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इसलिए, प्रसारकों तथा वितरकों को बुके तैयार करने हेतु लचीलापन इस प्रकार प्रदान किया गया है कि अनुमेय छूट अ–ला–कार्टे चयन को समाप्त न कर दे। प्राधिकरण, ने इस प्रकार के ढ़ांचे को विहित करने में काफी सावधान बरती है जिससे उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के विरूद्ध गैर–मुख्य चैनलों को जबरन बढ़ावा न मिले। गैर–मुख्य चैनल, जिन्हें बुके के भाग के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, न केवल अ–ला–कार्टे चैनलों के चयन के विकल्प को समाप्त कर देते हैं बल्कि वितरकों की चैनल वहन की क्षमता को भी समाप्त कर देते हैं जिससे नए/प्रतिस्पर्धी चैनलों को आरंभ करने हेतु वितरण प्लेटफार्म क्षमता पर कृत्रिम अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसे प्रतिबंध उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल हैं तथा इनसे सावधानी से निपटना होगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने सचेतरूप से अ–ला–कार्टे तथा बुके मूल्यों के बीच संबधों को विहित करते हुए वर्तमान ढ़ांचे के संबंध में निर्णय लिया ताकि उपभोक्ताओं के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं के हितों का भी संरक्षण किया जा सके। तथापि, प्राधिकरण बाजार में होने वाले विकास पर भी नज़र रखेगा तथा लगभग दो वर्ष की समयावधि में बुके की पेशकश करते समय अधिकतम अनुमय छूट की समीक्षा कर सकता है।

68. कोई प्रसारक अपने ग्राहकों को बुके के रूप में अपने पे–चैनल प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है । किसी बुके को सब्सक्राइब करते समय, ग्राहक को संभवतः बुके का निर्माण करने वाले प्रत्येक चैनल के मूल्य का पता नहीं हो सकता है । किसी पे–चैनल के असामान्य उच्च मूल्य के फलस्वरूप बुके की कीमत अधिक हो सकती है जिससे सब्सक्राइबरों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि चैनलों की बंडलिंग उनके मूल्यों को जटिल और अस्पष्ट बना देती है । उनके मूल्य अस्पष्ट होते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर सदैव ही यह समझ पाने में असमर्थ होते हैं कि बंडल मूल्य और प्रत्येक अवयव के मूल्य के बीच में क्या संबंध है । तथापि, चैनलों की बंडलिंग सब्सक्राइबरों के लिए सुविधाजनक होती है तथा सब्सक्रिप्शन के प्रबंधन में सेवा प्रदाताओं को भी सुविधा प्रदान करती है । इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए तथा सब्सक्राइबरों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने उन पे–चैनलों की एमआरपी पर 19/–रू. की सीमा निर्दिष्ट की है जिन्हें बुके के भाग के रूप में प्रदान किया जा सकता है। अतः 19/–रू. से अधिक की एमआरपी वाला कोई भी पे–चैनल किसी बुके का भाग नहीं बनेगा । 19/–रू. की राशि को प्रसारकों और डीपीओ के बीच थोक स्तर पर सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए 15.12 रू. की विद्यमान उच्चतम जेनरे सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया गया है जिसमें डीपीओ के वितरण शुल्क को समाहित करने के लिए इसमें आगे 1.25 गुना की वृद्धि की गई है । प्रसारकों को अपने उन पे–चैनलों का मूल्य–निर्धारण करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो किसी बुके का भाग नहीं हैं तथा उन्हें केवल अ–ला–कार्टे आधार पर ही प्रदान किया जाता है। बुके का निर्माण करने के लिए डीपीओ पर भी समान शर्तें लागू होंगी । तथापि, प्राधिकरण बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और लगभग दो वर्ष की समयावधि में उस रीति की समीक्षा करेगा जिसमें कोई चैनल बुके के भाग के रूप में प्रदान किया जा सकता है ।

69. मसौदा टीटीओ में यह प्रस्ताव था कि कोई प्रसारक पे–चैनल की पेशकश अ–ला–कार्टे आधार पर कर सकता है और बुके के रूप में भी कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे चैनलों के जेनरे आधारित मूल्य निर्धारण की अधिकतम सीमा भी विहित की गई थी, जिन चैनलों की बुके के भाग के रूप में सब्सक्राइबरों को पेशकश की जाती है। इसके अतिरिक्त, मसौदा टीटीओ में यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रसारक अपने चैनल को एक पृथक श्रेणी, जिसे प्रीमियम चैनल कहा जाता है, के अंतर्गत घोषित कर सकता है, जिसे सब्सक्राइबर को केवल अ–ला–कार्टे आधार पर ही दिया जा सकता है और ऐसे चैनलों के मूल्य निर्धारण की अधिकतम सीमा विहित नहीं की गई थी।

70. इसके प्रत्युत्तर में, कुछ प्रसारकों का मानना है कि प्रीमियम चैनल और निश चैनल भिन्न हैं और प्रीमियम चैनल के तहत केवल उन्हीं चैनलों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें विशेष स्वरूप की विषय–वस्तु हो। उनमें कुछ ने प्रीमियम चैनलों के अंतर्गत आने वाले चैनलों के वर्गीकरण के लिए कई मानकों का सुझाव दिया है।

71. हितधारकों की टिप्पणियों का अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रीमियम चैनलों के नाम के बारे में हितधारकों के मन में कुछ भ्रातियां हैं। प्राधिकरण का इरादा प्रसारकों को अपने किसी भी चैनल को प्रीमियम श्रेणी में रखने के मामले में पूरी स्वतंत्रता देने का था, जो चैनल के जेनरे से सबंद्ध नहीं था । प्रीमियम चैनलों के लिए एकमात्र शर्त यही है कि ऐसे चैनल पूरी मूल्य श्रृंखला में केवल अ–ला–कार्टे आधार पर दिए जाने चाहिए। यह निर्णय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सब्सक्राइबर ऐसे चैनलों का विकल्प चुनने से पूर्व ऐसे चैनलों की मूल्य संबंधी विवक्षाओं से पूरी तरह अवगत रहे । किसी भ्रांति को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने प्रीमियम चैनलों के रूप में चैनलों के श्रेणीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है । चूंकि प्रसारकों को जेनरे पर कोई सीमा लगाए बिना उनके अ–ला–कार्टे चैनलों का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंख्ता दी गई है (पैरा 52 देखें), प्रीमियम चैनल की अवधारणा को समाप्त करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां तक जमीनी तौर पर इसके क्रियान्वयन का संबंध है।

72. कुछ प्रसारकों ने सुझाव दिया था कि उन्हें एमआरपी पर सब्सक्राइबर की मांग पर आधारित छूट देने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपने शुरु किए गए नए चैनलों के लिए प्रोत्साहन पेशकश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

73. प्राधिकरण ने कुछ प्रसारकों की उल्लिखित मांगों पर विचार करने के बाद यह तय किया है कि प्रसारक अपने अ–ला–कार्टे पे–चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन योजनाओं की पेशकश कर सकते हैं। तथापि, ऐसी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्राधिकरण ने यह भी तय किया है कि प्रसारकों को पे–चैनल के बुके पर कोई प्रोत्साहन योजना की पेशकश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की योजना की अवधि एक बार में नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी और ऐसी योजना किसी कैलेण्डर वर्ष में दो बार से अधिक नहीं दी जा सकेगी। इस प्रकार की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अ–ला–कार्टे पे–चैनलों की कीमत को ऐसी प्रोत्साहन योजना की अवधि के दौरान इन चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य समझा जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियम और टैरिफ ऑर्डर इस प्रकार की किसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अ–ला–कार्टे पे–चैनल की कीमतों पर लागू होंगे।

74. प्राधिकरण ने खुदरा स्तर पर मूल्य फोरबीयरेन्स को नए ढांचे में भी जारी रखे जाने की टेलीविजन चैनलों के वितरकों की मांग पर विचार किया है । प्राधिकरण ने यह पाया है कि टेलीविजन चैनलों के वितरक प्रसारकों से चैनल अथवा चैनलों के बुके छूट की विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर प्राप्त करते हैं । इस चिंता का निवारण करने के लिए प्राधिकरण ने खुदरा स्तर पर फोरबीयरेन्स जारी रखने का निर्णय लिया है तथा टेलीविजन चैनलों के वितरकों को उनके ग्राहकों के लिए प्रसारकों द्वारा घोषित पे–चैनलों की एमआरपी पर छूट प्रदान करते हुए अ–ला–कार्टे पे–चैनलों के वितरक खुदरा मूल्यों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है । टेलीविजन चैनलों के वितरक भी विभिन्न प्रसारकों के अ–ला–कार्टे पे–चैनलों से बुके का निर्माण करने तथा इस शर्त पर उनका मूल्य–निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है कि पे–चैनलों के ऐसे बुके का वितरक खुदरा मूल्य प्रसारक द्वारा तैयार किए गए पे–चैनलों के बुके और उस बुके का भाग बनने वाले अ–ला–कार्टे पे–चैनलों के वितरक खुदरा मूल्यों के योग के पिचासी प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए (उदाहरण 2 देखें)। इसके अलावा, ग्राहकों/दर्शकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, डीपीओ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 19/–रू. से अधिक की एमआरपी वाला कोई भी पे–चैनल किसी बुके का भाग नहीं बन सकता है ।

75. कुछ हितधारकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रसारकों के अधिकतम मूल्य की तुलना में टेलीविजन चैनलों के वितरकों के वितरक खुदरा मूल्य के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। उनका मानना है कि इससे एक ही क्षेत्र विशेष में एक ही चैनल के लिए अलग–अलग वितरक खुदरा मूल्य होंगे। कुछ हितधारकों ने आगे बताया कि टेलीविजन चैनलों के वितरक इसके

एमआरपी से बहुत कम मूल्य रख सकते हैं और बाजार में अपना हिस्सा पाने के लिए गैर प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में संलिप्त हो सकते हैं जिसे रोका जाना चाहिए। उनके अनुसार इससे क्षेत्र में एक अस्वस्थ स्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी और प्रसारक स्तर पर मूल्यों को घोषित करने का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा।

76. टेलीविजन चैनलों के वितरकों को प्रसारकों द्वारा घोषित चैनल के एमआरपी पर छूट दी जानी है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने उस छूट की अधिकतम सीमा तय कर दी है जो टेलीविजन चैनलों के वितरकों को प्रसारकों द्वारा सत्यापन योग्य और अविभेदकारी मानदंडों के आधार पर दी जाएगी। इसलिए, किसी टेलीविजन चैनल वितरक के लिए किसी चैनल उससे अधिक छूट देना संभव नहीं होगा, जितनी उसे चैनल के लिए प्रसारक द्वारा उसके अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान की जाएगी। छूट पर सीमा निर्दिष्ट करते समय प्राधिकरण का आशय सभी डीपीओ के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है । यह आशा की जाती है कि फोरबीयरेन्स का प्रयोग करते समय डीपीओ चैनलों का मूल्य निर्धारण युक्तियुक्त तरीके से करेंगे और मनमाने तरीके से मूल्यों को निर्धारित नहीं करेंगे । प्राधिकरण इस पर नज़र रखेगा तथा आवश्यकता होने पर इस संबंध में हस्तक्षेप करेगा । अगला मुद्दा वितरण नेटवर्कों में निवेश के मुद्रीकरण से संबंधित है ।

77. टेलीविजन चैनलों के वितरक ने अपने नेटवर्क की स्थापना तथा रखरखाव में काफी पैसों का निवेश किया है जो कि प्रसारक की आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं हैं। नेटवर्क का विस्तार करने तथा ब्रॉडबैंड सहित मल्टी–मीडिया सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्षमता को उन्नत करने के लिए, उनके वितरण नेटवर्क में अतिरिक्त निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, टेलीविजन चैनलों के वितरकों को कई कार्य करने होते हैं, जैसे कि सब्सक्राइबर प्रबंधन, बिलिंग, शिकायत निवारण, सब्सक्रिप्शन राजस्व का संग्रह आदि। वर्तमान फ्रेमवर्क में टेलीविजन चैनलों के वितरकों के पास राजस्व का कोई निश्चित स्रोत नहीं है और वे बहुत हद तक अपने नेटवर्क पर प्रसारकों के पे–चैनलों को सब्सक्राइबरों को वितरित किए जाने से प्राप्त राजस्व के हिस्से पर निर्भर करते हैं। नेटवर्क लागत की वसूली करने के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एफटीए चैनल का मूल्य भी सब्सक्राइबरों के लिए तय किया जाता है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि कई मामलों में सब्सक्राइबर को अधिसूचित एफटीए चैनलों की कीमतें कुछ पे–चैनलों की कीमतों से अधिक है। सिद्धांततः यह एक गलत प्रथा है। एफटीए चैनल के प्रसारक मानते हैं कि सब्सक्राइबर के लिए ऐसे मूल्य का निर्धारण उनके व्यापार मॉडल के लिए हानिकर है जो पूरी तरह से विज्ञापन के राजस्व पर निर्भर है। एफटीए चैनलों को देखने के लिए इस प्रकार की कीमत से दर्शकों की संख्या घटती है और विज्ञापन राजस्व पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती है। इसके परिणामस्वरूप मूल्य श्रृखंला में आपसी अविश्वास तथा मुकदमे बाजी की संभावनाएं बढ सकती हैं । प्राधिकरण का यह मत है कि टेलीविजन चैनलों के वितरकों के पास पे–चैनलों के सब्सक्रिप्शन राजस्व के अलावा, राजस्व का एक विशिष्ट स्रोत होना चाहिए। तदअनुसार, प्रधिकरण ने टीवी चैनलों तथा नेटवर्क के शुल्क को अलग करने का निर्णय लिया है। इससे वर्तमान वितरण नेटवर्क में निवेश पर आय की उचित दर सुनिश्चित होगी तथा सब्सक्राइबर को बेहतर गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने के निवेश को बल मिलेगा।

78. मसौदा टीटीओ में यह प्रस्ताव था कि टीवी चैनलों के वितरक सब्सक्राइबर से 100 एसडी चैनलों की नेटवर्क क्षमता को सब्सक्राइब करने के लिए अधिकतम 130/– (कर रहित) का मासिक किराया वसूलेगें।

79. मसौदा टीटीओ के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारकों ने उल्लेख किया है कि बेसिक टियर के लिए 130/– रुपए का मूल्य निर्धारण के पीछे कोई तर्क संगतता नहीं है। उनका मानना है कि किराया राशि को कम किया जाना चाहिए क्योंकि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ने के साथ प्रसारण लागत कम होती है और अन्य क्रियाकलाप, जैसे सब्सक्राइबर प्रबंधन, बिलिंग, शिकायत निवारण, कॉल सेंटर के खर्च भी समय के साथ कम होते हैं। दूसरी ओर अधिकांश टेलीविजन चैनलों के वितरकों ने इस किराया राशि का समर्थन किया है। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया है कि एक अधिकतम किराया राशि तय करने के बदले इसे प्रतिमाह 130/– रुपए पर तय किया जाना चाहिए। टेलीविजन चैनलों के कुछ वितरकों ने यह सुझाव दिया कि किराया राशि को 130/–रुपए पर निर्धारित किया जाना चाहिए

तथा इस पर अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जा सकती है। कुछ टेलीविजन चैनल वितरकों ने सुझाव दिया कि मासिक किराया राशि 200/–रुपए तय की जानी चाहिए। एक हितधारक ने सुझाव दिया कि किराया राशि का नाम बदलकर न्यूनतम सब्सक्रिप्शन फी या बेसिक सब्सक्रिप्शन चार्ज या बेसिक टियर शुल्क किया जाना चाहिए क्योंकि यह एसटीबी किराया राशि के साथ भ्रम पैदा करता है।

80. हितधारकों की मांग से सहमत होते हुए, प्राधिकरण ने तय किया कि किराया राशि का नाम बदलकर नेटवर्क क्षमता शुल्क रखा जाए क्योंकि वितरक एक नेटवर्क क्षमता प्रदान करता है, जिसका उपयोग सब्सक्राईबर, सब्सक्राइब किए गए टेलीविजन चैनल के सिग्नल प्राप्त करने में करता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्राधिकरण ने नोट किया कि 100 एसडी चैनल को चलाने की लागत एक टेलीविजन चैनल वितरक के लिए लगभग 80 रुपए प्रतिमाह होती है और सब्सक्राइबर प्रबंधन, बिलिंग, शिकायत निवारण, कॉल सेंटर आदि जैसे अन्य गतिविधियों पर व्यय लगभग 50 रुपए प्रतिमाह होता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने अनुमति दी है कि 100 एसडी चैनलों के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक वितरक नेटवर्क की लागत के रूप में अपने सब्सक्राइबरों से अधिकतम 130/– रुपए, कर रहित, प्रतिमाह प्रभारित कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर 100 चैनलों के लिए वितरण नेटवर्क की क्षमता के अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता की मांग 25 एसडी चैनल के बंडल के रूप में कर सकता है, जिसकी दर 20/– रुपए, कर रहित, प्रति माह से अधिक नहीं होगी। यह राशि टेलीविजन चैनल के वितरकों द्वारा व्यय की गई अतिरिक्त बैंडविड्थ लागत के लिए है।

81. प्राधिकरण ने आगे यह भी नोट किया है कि कुछ टेलीविजन चैनलों के वितरकों के लिए प्रसारकों को चैनलों के लिए दिये जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त प्रतिमाह औसत राजस्व प्रति सब्सक्राइबर लगभग 100/– रूपए है। प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 में एमएसओ के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे सब्सक्राइबरों को कम से कम बेसिक सेवा टियर (बीएसटी) के रूप में 100 फ्री टू एयर चैनल मुहैया कराए और इस बीएसटी के लिए एक न्यूनतम मासिक शुल्क, जो कि प्रति सब्सक्राइबर 100 रूपए कर रहित से अधिक नहीं हो, विनिर्दिष्ट करें। अभी तक किसी भी हितधारक द्वारा इस बीएसटी मूल्य को चुनौती नहीं दी गई है। यदि हम विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग करते हुए इस बीएसटी के वर्तमान मूल्य का आकलन करे तो यह 110 रुपए होता है। प्राधिकरण ने आगे यह नोट किया है कि फेज–III और फेज–IV क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे एमएसओ सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिनके पास छोटे नेटवर्क हैं और छोटी संख्या में सब्सक्राइबरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे एमएसओ के हितों की संरक्षा हेतु प्रारंभिक एक सौ चैनलों की क्षमता के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क हेतु 130/– रुपए की राशि तय की गई है। टेलीविजन चैनलों के वितरकों को लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए तथा सब्सक्राइबरों के हितों के संरक्षण के लिए 130/– रुपए की अधिकतम सीमा विहित की गई है। टेलीविजन चैनलों के वितरक , इस अधिकतम सीमा के नीचे नेटवर्क क्षमता शुल्क निर्धारित कर सकते हैं। तथापि, नेटवर्क क्षमता शुल्क नेटवर्क पर ले जाए जाने वाले चैनलों से प्रभावित नहीं होगी। यह किसी सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राईब किए गए चैनलों के आधार पर भिन्न नहीं हो सकती है। प्राधिकरण बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और लगभग दो वर्ष की समयावधि में नेटवर्क क्षमता शुल्क की सीमा की समीक्षा करेगा ।

82. अब मुद्दा है कि एचडी चैनलों की नेटवर्क क्षमता की गणना कैसे की जाए। इस उद्योग के आकलन के अनुसार, औसतन, एक एचडी चैनल उतना बैंडबिड्थ धारण करता है, जिसमें 2 एसडी चैनलों को, उपयुक्त सघनता प्रक्रिया के साथ, समायोजित किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने यह तय किया है कि यदि कोई सब्सक्राइबर किसी एचडी चैनल को सब्सक्राइब करता है तो चैनल क्षमता की गणना के लिहाज से इसे 2 एसडी चैनल के बराबर गिना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई सब्सक्राइबर 100 एसडी चैनलों की नेटवर्क क्षमता का चयन करता है और 1 एचडी चैनल का चयन करता है तो उसे सब्सक्राईब की गई क्षमता में 98 एसडी चैनल और 1 एचडी चैनल प्राप्त होगा (1 एचडी चैनल = 2 एसडी चैनल)। यदि कोई सब्सक्राइबर 2 एचडी चैनलों को सब्सक्राइब करता है तो उसे 96 एसडी चैनल और 2 एचडी चैनल प्राप्त होंगे (2 एचडी चैनल = 4 एसडी चैनल)।

83. वर्तमान में, टेलीविजन चैनलों के वितरकों को खुदरा स्तर पर चैनलों के पैकेजिंग करने हेतु छूट है। तथापि, यह मुख्यतः प्रसारकों से प्रभावित होता है। टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा प्रारंभिक स्तर के बुके एफटीए और पे–चैनल, दोनों, को मिलाकर तैयार किए जाते हैं। बुकों के ऐसे निर्माण और अधिक कीमतों के कारण अ–ला–कार्टे चैनलों की बाधित उपलब्धता सब्सक्राइबरों के हितों के प्रतिकूल हो गई है। इसके अतिरिक्त, सब्सक्राइबर अपनी पसंद के चैनलों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि डिजिटाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य अधिक चैनलों के विकल्प प्रदान करते हुए तथा उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाली विषय–वस्तु उपलब्ध करते हुए, सब्सक्राइबरों के हितों का बेहतर तरीके से संरक्षण करना है। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकरण ने यह तय किया है कि सब्सक्राइबरों के समक्ष प्रसार भारती के अनिवार्यतः चैनलों के अलावा अपनी पसंद के अन्य चैनल चुनने, एफटीए और पे–चैनल या पे–चैनल और एफटीए चैनलों के संयोजन को चुनने का विकल्प होना चाहिए।

84. वर्तमान फ्रेमवर्क में सब्सक्राइबरों को सामान्यतः चैनलों के बुके प्रदान किए जाते हैं। उन्हें टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे चैनलों और उनकी कीमतों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। परिणामतः, सब्सक्राइबर जानकारी पर आधारित निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपनी पसंद के चैनलों का चयन नहीं कर पाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया और इसके खंड 6 में उपभोक्ताओं के छह मूलभूत अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खंड 6 को नीचे उद्धृत किया गया हैः–

> 6. केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य : केन्द्रीय परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन तथा संरक्षण करना होगा, जैसे कि :
>
> (क) ऐसी वस्तु या सेवाएं, जो जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार;
>
> (ख) **वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य,** जैसी भी स्थिति हो, के बारे में, **जानकारी प्राप्त करने का अधिकार** ताकि अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरूद्ध उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके, ;
>
> (ग) जहां कहीं संभव हो, **प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अनेक प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं तक** पहुंचने के लिए आश्वस्त होने का अधिकार;
>
> (घ) सुने जाने का अधिकार तथा यह आश्वासन पाने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर उचित रूप में उपयुक्त मंच पर विचार किया जाए;
>
> (ड.) अनुचित व्यापार प्रथाएं या प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण से निवारण पाने का अधिकार; और
>
> (च) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार''

85. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सक्राइबर टेलीविजन चैनलों के वितरकों के नेटवर्क पर उपलब्ध सभी चैनलों तथा उनके मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे वे जानकारीप्रद चयन कर सकें, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि प्रसारक अपने वेबसाइट पर अपने पे–चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रकाशित करेंगे, प्राधिकरण को सूचित करेंगे तथा सभी टेलीविजन चैनलों के वितरकों को भी यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सब्सक्राइबर इस प्रकार के अधिकतम खुदरा मूल्य को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाईड (ईपीजी) में देख सकेंगे, जिसके बारे में चर्चा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं–सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में की गईं है।

86. यह संभव हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर अपने पसंद के चैनल चुनने को सुविधाजनक न पाएं। टेलीविजन चैनल के वितरक प्रत्यक्ष रूप से या एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबरों के साथ इन्टरएक्ट करते हैं और उनकी पसंद और विकल्पों के बारे में

जानकारी रखते हैं। इसलिए, टेलीविजन चैनलों के वितरक विभिन्न प्रसारकों से प्राप्त अ–ला–कार्टे पे–चैनलों से ऐसे बुके बनाने में सक्षम होंगे, जो उनके सब्सक्राइबरों की जरूरतों के अनुरूप हो। टेलीविजन चैनल के वितरकों को इस बात की भी अनुमति होगी कि वे अ–ला–कार्टे पे–चैनल का एक बड़ा बुके का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रसारकों के पे–चैनलों को पैकेज कर सकें। प्राधिकरण ने टेलीविजन चैनलों के वितरकों को इस बात की अनुमति दी है कि वे प्रसारकों द्वारा दिए जाने वाले अ–ला–कार्टे पे–चैनलों तथा पे–चैनलों के बुकों से अपने बुके बना सकते हैं। तथापि, टेलीविजन चैनल का कोई वितरक, प्रसारक द्वारा पेशकश किए गए पे–चैनल में बुके को किसी भी स्थिति में, चाहे बड़ा बुके प्रदान करके या पे–चैनल के छोटे–छोटे बुकों का निर्माण कर सब्सक्राइबरों के लिए उन्हें वितरण स्तर पर खंडित नहीं कर सकता है।

87. कई बार सब्सक्राइबरों को यह पता नहीं होता कि टेलीविजन चैनलों के वितरकों को एफटीए चैनल निःशुल्क दिए जाते हैं जबकि केवल पे–चैनलों के लिए सब्सक्रिप्शन फीस का भुगतान किया जाता है। जब किसी बुके में पे और एफटीए चैनल, दोनों होते हैं तो जानकारी के अभाव में सब्सक्राइबर मूल्यों में अंतर को नहीं जान पाता है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण ने तय किया है कि पे–चैनलों और एफटीए चैनलों के बुके पृथक होंगे, अर्थात प्रसारक स्तर तथा टीवी चैनल के वितरक स्तर, दोनों स्तरों पर पे–चैनलों और एफटीए चैनलों का बंडल एक साथ नहीं बनाया जा सकता।

88. कोई भी सब्सक्राईबर टेलीविजन चैनलों के वितरकों के नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न प्रसारकों के एफटीए चैनलों और पे चैनलों में से अ–ला–कार्टे आधार पर चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र होगा। इस अ–ला–कार्टे विकल्प के अतिरिक्त एक सब्सक्राइबर किसी प्रसारक द्वारा दिए जाने वाले पे–चैनल के किसी भी बुके या विभिन्न प्रसारकों के पे–चैनलों से टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा निर्मित पे–चैनल के किसी भी बुके या विभिन्न प्रसारकों के एफटीए चैनलों से टेलीविजन चैनल वितरकों द्वारा तैयार किसी भी बुके या उनके किसी भी समायोजन को चुनने के लिए स्वतंत्र होगा। इससे किफायती मूल्यों पर अधिक विकल्प सुनिश्चित किये जा सकते हैं। यहां इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि टेलीविजन चैनलों के वितरकों के नेटवर्क पर उपलब्ध किसी अ–ला–कार्टे एफटीए चैनल या एफटीए चैनल के बुके के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क के अतिक्ति सब्सक्राइबर से प्रसारक द्वारा या टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

89. कुछ डीटीएच ऑपरेटरों ने समान अवसर नहीं प्रदान किए जाने का मुद्दा उठाया है और उल्लेख किया है कि मसौदा टीटीओ में प्रभावतः, सभी टेलीविजन चैनल वितरकों को समान माना गया है और ऐसा करते समय भिन्न निवेशों, प्रचालन के स्तर, क्यूओएस, सेवा स्तर, लागत, विनियामक उदग्रहण और कराधान, नवोन्मेश, प्रचालन की दक्षता, उत्पादों की श्रेणी, आदि को अनदेखा किया गया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि उच्च आगत लागतों के चलते डीटीएच ऑपरेटरों को हानि होगी। उन्होंने यह बताया कि डीटीएच प्रचालकों को अपने नेटवर्क के लिए अपने टैरिफ को इस प्रकार तय करने की छूट होनी चाहिए कि वे स्वयं द्वारा किए गए कैपेक्स/ओपेक्स की वसूली की योजना बना सके।

90. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि डीटीएच ऑपरेटरों ने यह तर्क देते हुए कि उनकी आगत लागत एमएसओ की तुलना में अधिक है, इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि एमएसओ को भी आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास में, एलसीओ को नियुक्त करने में तथा आधारभूत अवसंरचना का संचालन करने वाले श्रम बल पर खर्च उठाना पड़ता है। तथापि, हर प्रौद्योगिकी की अपने लाभ और हानियां होती हैं। यहां, यह कहना भी समीचीन होगा कि जबकि डीटीएच प्रचालक महंगे ट्रांसपोंडर स्पेस का उपयोग करते हैं तब वे कवरेज का लाभ प्राप्त करते हैं तथा देश के किसी भी हिस्से में सब्सक्राइबर को अपने से जोड़ते हैं जबकि एमएसओ को आधारभूत अवसंरचनाओं को बनाना तथा रखरखाव करना पड़ता है और अपने पूरे सेवा क्षेत्र में सब्सक्राइबर को सेवा देने के लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ता है। अंततः दोनों प्रणालियां एड्रेसेबल सिस्टम है और दोनों का उद्देश्य एक ही है। इसके अलावा यह देखा गया कि किसी भी डीटीएच प्रचालक द्वारा मसौदा विनियमों पर चर्चा के समय अपने तर्क के समर्थन में कोई भी लागत आंकड़ा पेश नहीं किया गया, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था। प्राधिकरण ने सब्सक्राइबरों के हितों की संरक्षा करते हुए टेलीविजन चैनलों के

वितरकों को पर्याप्त लचीली व्यवस्था दी है ताकि वे इसमें नवीनता ला सके। अतः, निर्धारित अधिकतम सीमा में दोनों प्रणालियों की लागत का ध्यान रखा गया है तथा इसमें प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

91. यद्यपि प्राधिकरण ने नेटवर्क क्षमता शुल्क की अधिकतम सीमा तय कर दी है, इसमें यह आशा की गई है कि इस प्रकार की अधिकम सीमा का पालन एक सीमित अवधि के लिए ही होगा। प्राधिकरण बाजार में होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखेगा और यदि एक बार प्रभावी प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाए तो नियंत्रण को समाप्त करने तथा 3 से 4 वर्ष की अवधि में नेटवर्क क्षमता शुल्क की सीमा को खत्म करने के बारे में सोचेगा।

B. जेनरे का युक्तिकरण

92. मसौदा टीटीओ में प्राधिकरण ने जेनरे संबंधित अधिकतम मूल्य सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से निम्नलिखित सात जेनरे बनाए रखने का प्रस्ताव किया था :–

(एक) सामान्य मनोरंजन

(दो) समाचार और वर्तमान घटनाक्रम

(तीन) जानकारी सह मनोरंजन

(चार) खेल–कूद

(पांच) बच्चों के चैनल

(छह) चलचित्र

(सात) भक्ति

93. मसौदा टीटीओ के प्रत्युत्तर में, कुछ हितधारकों का यह मत है कि जेनरे का प्रावधान अभिनवता को समाप्त कर देगा और प्रसारकों को केवल सीमित क्षेत्रों में चैनल विकसित करने के लिए विवश करेगा जैसाकि संबंधित जेनरे में परिभाषित किया गया है । कुछ अन्य हितधारकों ने यह कहा कि संगीत को एक पृथक जेनरे के रूप में रखा जाना चाहिए क्योंकि संगीत के एक बड़ी संख्या में दर्शक विद्यमान हैं जो समाचार और खेलों से अधिक हैं । कुछ अन्य हितधारकों ने सुझाव दिया कि जेनरों की सूची की श्रेणियों में अधिक विषय शामिल किए जाने चाहिए, जैसे संगीत, प्रादेशिक, व्यापार, समाचार और अंतर्राष्ट्रीय आदि ।

94. प्राधिकरण ने विभिन्न जेनरे निर्दिष्ट किए हैं ताकि प्रसारक अपने चैनलों को उपयुक्त विषय में वर्गीकृत कर सकें जिससे सब्सक्राइबर ऐसे चैनलों को आसानी से ढूंढ सकें । तथापि, किसी जेनरे को टैरिफ ढांचे में निर्दिष्ट किए जाने के विरोध में हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने टीटीओ में जेनरे को निर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया है ।

C. जेनरे के मूल्य की अधिकतम सीमा

95. जैसी कि पूर्व में पैरा 52 में चर्चा की गई है, मसौदा टीटीओ के प्रत्युत्तर में हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ने पे–चैनलों के मूल्य–निर्धारण में कोई सीमा निर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया है ।

D. प्रीमियम चैनल और मूल्य निर्धारण

96. जैसा कि पैरा 71 में पहले ही चर्चा की गई है, प्राधिकरण ने मसौदा टीटीओ के प्रत्युत्तर में हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत प्रीमियम चैनलों के रूप में पे–चैनलों का श्रेणीकरण न करने का निर्णय लिया है ।

E. एचडी चैनलों का मूल्य निर्धारण

97. जैसी कि पैरा 52 में पहले ही चर्चा की गई है, प्राधिकरण ने एचडी चैनलों सहित पे–चैनलों के मूल्य–निर्धारण पर कोई सीमा निर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया है । प्राधिकरण ने यह निर्दिष्ट किया है कि 19/–रू. से अधिक एमआरपी वाले किसी भी चैनल को प्रसारकों अथवा डीपीओ द्वारा बनाए गए किसी भी बुके में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि उससे उस बुके में किसी उच्च मूल्य वाले चैनल को अकारण ही शामिल न कर लिया जाए । अतः एचडी चैनलों के मूल्य बाजार की मांग के अनुसार तथा सब्सक्राइबर की पसंद के आधार पर विनियमित होंगे ।

F. इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पर चैनल की मौजूदगी

98. ईपीजी पर चैनलों की दिखाए जाने से संबंधित प्रावधानों को क्यूओएस और अंतर संयोजन विनियमों में विस्तार से विनिर्दिष्ट किया गया है ।

G. भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनल

99. परामर्श–पत्र में भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनल की परिभाषा और विनियम की आवश्यकता के मुद्दे पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं ।

100. अधिकांश प्रसारक भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों को विनियमित किए जाने के पक्ष में नहीं है। उनका विचार है कि भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनल सब्सक्राइबरों की रूचि को अवरोधित नहीं करते हैं क्योंकि वे भिन्न प्रकार की जनता/वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने और प्रसारकों के विषय–वस्तु की पहुंच बढ़ाने के लिए आरंभ किये गये हैं। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों को विनियमित करके भादूविप्रा चैनल विषय–वस्तु को विनियमित करेगा, जो भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार के बाहर है। दूसरी तरफ, कुछ प्रसारक समान विषय–वस्तु वाले, परंतु बहु–ऑडियो फीड वाले चैनलों को बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के विनियमित किए जाने के पक्ष में हैं। एक प्रसारक का सुझाव है कि एचडी चैनलों को ऐसे किसी खंड के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

101. टेलीविजन चैनलों के वितरकों ने कहा है कि भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उसमें निश्चित रूप से बहु–भाषाओं में समान या लगभग समान विषय–वस्तु वाले दो या दो से अधिक चैनल होने चाहिए। उनका मानना है कि सब्सक्राइबर को क्षेत्र, भाषा, एसडी या एचडी मोड पर अपने पसंद के आधार पर चुनाव करने में सक्षम होना चाहिए और इस प्रकार, भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों को एक ही बुके में नहीं रखा जा सकता।

102. एक व्यक्ति का सुझाव है कि दो या अधिक चैनल, जिनमें 60 प्रतिशत विषय–वस्तु है या दो अथवा दो से अधिक चैनल, जो बहु–भाषाओं में एक समान या लगभग एक समान विषय–वस्तु की पेशकश करते हैं, उन्हें 'क्लोन चैनल' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सब्सक्राइबर को भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों में से किसी एक को सब्सक्राइब करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक ही बुके में सब्सक्राईब करने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

103. वर्तमान में, भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों को एक ही बुके में मूल चैनल के रूप में रखा जाता है, जिससे सब्सक्राइबरों पर अतिरिक्त टैरिफ का भार पड़ता है। वर्तमान में, ऐसे क्रियाकलापों को रोकने के लिए कोई विनियामक ढांचा नहीं है। वर्तमान में, प्राधिकरण भिन्न अथवा क्लोन किए गए चैनलों को विनियमित नहीं करना चाहता है। तथापि, यह वांछनीय है कि प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के वितरक को एक ही बुके में मूल चैनल के साथ क्लोन चैनल को बंडल नहीं करना चाहिए और सब्सक्राइबरों के पास उनके पसंद के आधार पर ऐसे चैनल की भाषा चुनने का विकल्प होना चाहिए ।

H. प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान और टैरिफ विकल्प

104. परामर्श–पत्र में, हितधारकों से सुझाव देने के लिए कहा गया कि क्या सब्सक्राइबर के लिए प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान (पीपीवी) का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान के लिए टैरिफ को विनियमित किया जाए अथवा नहीं।

105. इसके प्रत्युत्तर में प्रसारकों और टेलीविजन चैनलों के वितरकों सहित ज्यादातर हितधारक प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान के विकल्प के पक्ष में नहीं हैं। उनका सुझाव था कि पीपीवी को कार्यान्वित किया जाना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ऐसे तीव्र परिवर्तन के संबंध में प्रसारकों और एमएसओ के लिए निगरानी रखना कठिन होगा।

106. जबकि कुछ हितधारकों का विश्वास है कि प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह सब्सक्राइबरों को बेहतर चुनाव करने का विकल्प और छूट देता है और यह नयी विषय–वस्तु आरंभ करने का नवोन्मेषी तरीका हो सकता है। प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान का पक्ष लेने वाले टेलीविजन चैनलों के वितरकों ने सुझाव दिया है कि इसे कार्यान्वित करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और चैनल के मासिक अ–ला–कार्टे लागत से इसकी लगात कम होगी। इन हितधारकों ने सुझाव दिया कि पीपीवी सेवा को फारबीयरेंस पर छोड़ दिया जाना चाहिए और प्राधिकरण मामले–दर–मामले आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है।

107. डिजिलीकरण ने मांग–पर–विडियो (वीओडी), पे–पर–व्यू, प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान आदि जैसे मूल्य–योजित सेवाएं के कार्यान्वयन को सक्षम बनाया है। प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान सब्सक्राइबर की पसंद और उन्हें प्राप्त लचीलेपन को बड़े पैमाने पर सक्षम बनाएगा। यह ऐसे सब्सक्राइबरों के लिए अच्छा होगा, जो किसी विशेष चैनल पर अपनी पसंद का केवल प्रोग्राम विशेष देखना चाहते हैं, जिसे उन्होंने अ–ला–कार्टे आधार पर या बुके के रूप में अन्यथा सब्सक्राइब नहीं किया होगा। यह टेलीविजन चैनलों के वितरकों और प्रसारकों को उच्च एआरपीयू प्राप्त करने में भी सक्षम बना सकता है।

108. यद्यपि, वर्तमान में मूल्य–योजित सेवाएं सब्सक्राइबरों के मध्य बहुत लोकप्रिय नहीं है। इसलिए, प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान, सब्सक्राइबर पसंद सुनिश्चित करने के लिए भावी कदम प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, जैसा अधिकांश हितधारकों ने उल्लेख किया है कि प्रौद्योगिकी और श्रम शक्ति में निवेश से अतिरिक्त लागत भी आएगी। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण का विचार है कि अभी प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान को विनियमित करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी शैशव अवस्था में है और उद्योग उपयुक्त समय पर सब्सक्राइबरों को विकल्प दे सकता है जब हितधारकों के साथ–साथ सब्सक्राइबर और अवसंरचना प्रति कार्यक्रम देखने हेतु भुगतान को कार्यान्वित करने के लिए तैयार हों।

I. महत्वपूर्ण बाजार शक्ति

109. परामर्श–पत्र में हितधारकों से यह सुझाव देने के लिए कहा गया कि क्या महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) को पहचानने की जरूरत है । हितधारकों को महत्वपूर्ण बाजार शक्ति के रूप में किसी इकाई को वर्गीकृत करने के लिए मानदंड सुझाने के लिए भी कहा गया था।

110. अधिकांश प्रसारकों ने दावा किया कि एसएमपी की पहचान करने का मामला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के क्षेत्राधिकार में आता है और भादूविप्रा को ऐसा करने की जरूरत नहीं है । इसके अतिरिक्त, सीसीआई प्रतिस्पर्धा–रोधी व्यवहार को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है। तथापि, कुछ प्रसारकों ने एसएमपी पहचान के विचार का समर्थन नहीं किया तथा उन्होंने एसएमपी को पहचान करने के लिए मानदंड सुझाए हैं। टेलीविजन चैनलों के कुछ वितरकों ने कहा कि एसएमपी को पहचान करने की जरूरत नहीं है जबकि कुछ मानते हैं कि इस प्रकार का भेद किया जाना चाहिए। टेलीविजन चैनलों के कुछ वितरकों ने सुझाव दिया है कि वितरण के क्षेत्र में वर्टिकल इंटीग्रेटिड कम्पनियों को अतिरिक्त विनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए।

111. प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विनियमन, ग्राहकों/सब्सक्राइबरों एवं सेवा प्रदाताओं के हितों की संरक्षा के अलावा, भादुविप्रा का कार्य प्रतिस्पर्धा को सुगम करना, दक्षता को बढावा देना तथा भेद–भाव रहित माहौल सुनिश्चित करना भी है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भादुविप्रा तथा इसके विनियमों के उद्देश्यों व प्रयोजनों में से एक प्रतिस्पर्धा को बढावा देना भी है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि कुछ प्रसारकों के साथ–साथ टेलीविजन चैनलों के कुछ वितरकों दोनों ने महत्वपूर्ण बाजार शक्ति के एकाधिकारी व्यवहार को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। तथापि, प्राधिकरण टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के लिए एक नई संरचना निर्धारित कर रहा है और इसलिए, वर्तमान में महत्वपूर्ण बाजार शक्ति की पहचान और विनियमित नहीं करना चाहता। प्राधिकरण नई संरचना के कार्यान्वयन के बाद घटनाक्रम पर निगरानी रखेगा और यदि महत्वपूर्ण बाजार शक्ति का कोई एकाधिकारी व्यवहार पाया जाता है या उसके ध्यान में लाया जाता है तो प्राधिकरण भविष्य में इस विषय पर हस्तक्षेप कर सकता है।

उदाहरण 1

(व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 65 देखें)

प्रसारक द्वारा तैयार किए गए बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य का परिकलन

1. मान लीजिए कि प्रसारक द्वारा 10 पे–चैनलों (चैनल–1 से चैनल–10) की पेशकश की जाती है।

2. मान लीजिए कि प्रसारक द्वारा उपभोक्ता के लिए घोषित किए गए पे–चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निम्नवत है:–

   चैनल–1 = 5 रुपए

   चैनल–2 = 3 रुपए

   चैनल–3 = 4 रुपए

   चैनल–4 = 6 रुपए

   चैनल–5 = 7 रुपए

   चैनल–6 = 2 रुपए

   चैनल–7 = 1 रुपए

   चैनल–8 = 3 रुपए

   चैनल–9 = 4 रुपए

   चैनल–10 = 5 रुपए

   इन दस चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य का योग 40/– रुपए है।

3. यदि प्रसारक इन दस पे–चैनलों के बुके की पेशकश करता है तो ऐसे बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य इन दस चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य के योग के 85 प्रतिशत अर्थात् 40 रुपए X 85/100 = 34 रुपए से कम नहीं होगा ।

उदाहरण 2

(व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 74 देखें)

टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा तैयार किए गए वितरक खुदरा मूल्य का निर्धारण

1. मान लीजिए कि टेलीविजन चैनलों का वितरक, प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वाले दस पे–चैनलों (चैनल–1 से चुनल–10) के बुके पेशकश करता है।

2. मान लीजिए कि प्रसारकों द्वारा उपभोक्ता के लिए घोषित किए गए पे–चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तथा टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा घोषित किए गए उनके वितरक खुदरा मूल्य निम्नवत हैं:–

क्रम संख्या	प्रसारक द्वारा घोषित चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपए में)	टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा घोषित चैनलों का वितरक खुदरा मूल्य (रुपए में)
1	5	4.50
2	6	5.50
3	8	7
4	6	5
5	7	6.50
6	8	7
7	10	9
8	12	10
9	9	8
10	4	3.50
योग		**66**

3. यदि टेलीविजन चैनलों का वितरक इन दस चैनलों का बुके तैयार करता है तो ऐसे बुके का वितरक खुदरा मूल्य इन दस चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य के योग के 85 प्रतिशत अर्थात् 66 x 85/100 = 56.10 रुपए से कम नहीं होगा ।